# राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

## भारत सरकार

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seaccg@gmail.com

विषय– <u>राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 10/08/2023 को संपन्न 480वीं बैठक का कार्यवाही विवरण</u>

——00——

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 480वीं बैठक दिनांक 10/08/2023 को डॉ. बी.पी. सोनकर, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया–

1. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. डॉ. मनोज कुमार पोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
5. श्री कलादियुस तिर्की, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया–

**एजेण्डा आयटम क्रमांक–1:** **478वीं एवं 479वीं बैठक क्रमशः दिनांक 27/07/2023 एवं 28/07/2023 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 478वीं एवं 479वीं बैठक क्रमशः दिनांक 27/07/2023 एवं 28/07/2023 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

**एजेण्डा आयटम क्रमांक–2:** **गौण/मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।**

**1. मेसर्स दुलना लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती अनिता जैन), ग्राम–दुलना, तहसील–अभनपुर, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2497)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 429180/ 2023, दिनांक 01/08/2023 द्वारा टी.ओ.आर. आवेदन किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–दुलना, तहसील–अभनपुर, जिला–रायपुर

स्थित खसरा क्रमांक 432/3, 433/2, 673 एवं 674, कुल क्षेत्रफल–2.092 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–28,500 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 480वीं बैठक दिनांक 10/08/2023:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुधांशु चौधरी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्शे, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 432/3, 433/2, 673 एवं 674, कुल क्षेत्रफल–2.092 हेक्टेयर, क्षमता–10,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–रायपुर द्वारा दिनांक 16/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से दिनांक 16/12/2022 तक की अवधि हेतु वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार–

   **"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."**

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 16/12/2023 तक वैध होगी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–रायपुर, के ज्ञापन क्रमांक 2321/खनिज/खु.प./न.क्र.–एबी12/2023 रायपुर, दिनांक 04/08/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है–

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---|---|
| 2018–19 | 4,000 |
| 2019–20 | 10,000 |
| 2020–21 | 10,000 |
| 2021–22 | 10,000 |
| 2022–23 | 10,000 |

समिति का मत है कि दिनांक 01/04/2023 से किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत दुलना का दिनांक 12/08/2002 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाईड ऑफ क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर के पृ. ज्ञापन क्र. 2374/खनि 02/मा.प.अनुमोदन/न.क्र.04/2019(3) नवा रायपुर, दिनांक 05/04/2023 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1060/कोषा/उ.प./सूना.पत्र./2023–24 रायपुर, दिनांक 26/05/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 6.687 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1060/कोषा/उ.प./सूना.पत्र. /2023–24 रायपुर, दिनांक 26/05/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। 200 मीटर के भीतर ग्राम दुलना की आबादी स्थित है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्रीमती अनिता जैन के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 19/12/2022 से 18/12/2032 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज अवधि 19/12/2002 से 18/12/2032 तक है। समिति का मत है कि दिनांक 19/12/2002 से दिनांक 18/12/2022 तक की अवधि का लीज डीड की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि श्री श्रेयांश जैन के नाम पर है। उत्खनन हेतु भू–स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुये वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–दुलना 29 मीटर, स्कूल ग्राम–दुलना 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 5 कि.मी. दूर है। महानदी 409 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय

संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 8,63,625 टन एवं माईनेबल रिजर्व 1,50,000 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,100 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 25 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कन्ट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 1,000 वर्गमीटर है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---|---|
| प्रथम | 30,000 |
| द्वितीय | 30,000 |
| तृतीय | 30,000 |
| चतुर्थ | 30,000 |
| पंचम | 30,000 |

समिति द्वारा नोट किया गया कि प्रस्तुत मॉडिफाईड क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन क्षमता, ऑनलाईन के माध्यम से किये गये आवेदन में उत्खनन क्षमता 28,500 टन प्रतिवर्ष से अधिक है। समिति का मत है कि ऑनलाईन के माध्यम से किये गये आवेदन में उत्खनन क्षमता अनुसार रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित क्वारी प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 400 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 5,100 वर्गमीटर है, जिसमें से 2,830 वर्गमीटर क्षेत्र 10 मीटर की गहराई तक 670 वर्गमीटर क्षेत्र 13 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वॉरी प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–रायपुर, के ज्ञापन क्रमांक 114/खनिज/गु.पत्थ./अनु.मा.प्ला./2022 रायपुर, दिनांक 19/01/2023 द्वारा जारी पत्र अनुसार परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध खनिज विभाग द्वारा अवैध उत्खनन किये जाने हेतु अर्थदण्ड राशि रूपये 1,05,000/– लगाया गया था, जिसको परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 13/01/2023 द्वारा अर्थदण्ड राशि रूपये 1,05,000/– खनिज विभाग में जमा किया जाकर रसीद की प्रति प्रस्तुत की गई है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण

मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। समिति का मत है कि उत्खनित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का पुनर्भराव प्लान (Restoration plan) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. प्रस्तुत मॉडिफाईड क्वॉरी प्लान अनुसार खदान से ग्राम दुलना की दूरी 29 मीटर का उल्लेख है। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र की सीमा से ग्राम दुलना की न्यूनतम दूरी 50 मीटर होनी आवश्यक है। अतः ग्राम दुलना से न्यूनतम 50 मीटर की दूरी तक गैर माईनिंग क्षेत्र छोड़ते हुए रिजर्व की गणना कर संशोधित क्वॉरी प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. ग्राम दुलना से न्यूनतम 50 मीटर की दूरी तक गैर माईनिंग क्षेत्र छोड़ते हुए रिजर्व की गणना कर एवं ऑनलाईन के माध्यम से किये गये आवेदन में उत्खनन क्षमता अनुसार रिजर्व की गणना कर संशोधित क्वॉरी प्लान प्रस्तुत किया जाए।
2. उत्खनित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का पुनर्भराव प्लान (Restoration plan) प्रस्तुत किया जाए।
3. 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया जाए।
4. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
5. दिनांक 01/04/2023 से किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाए।
6. दिनांक 19/12/2002 से दिनांक 18/12/2022 तक की अवधि का लीज डीड की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
7. लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुये वन विभाग, कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

8. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तद्‌नुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

2. **मेसर्स एन.एस. इस्पात (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड (युनिट–2), उरला औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम–सरोरा, तहसील–धरसींवा, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2901)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 432020/2023, दिनांक 02/06/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा उरला औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम–सरोरा, तहसील–धरसींवा, जिला–रायपुर, प्लॉट नं. 101/29, खसरा क्रमांक 411/3, कुल क्षेत्रफल–0.405 हेक्टेयर में रेगुलाईजेशन ऑफ रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स (बीम्स, पैनल्स, पिल्लर्स एवं गिर्डर्स फॉर स्ट्रक्चर्स आयरन एण्ड स्टील) क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग 3 करोड़ रूपये होगा।

तद्‌नुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 480वीं बैठक दिनांक 10/08/2023:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मुकेश पाण्डेय, डायरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स (बीम्स, पैनल्स, पिल्लर्स एवं गिर्डर्स फॉर स्ट्रक्चर्स आयरन एण्ड स्टील) क्षमता – 30,000 मिट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु संचालन सम्मति दिनांक 18/01/2021 को जारी की गई, जिसकी सम्मति नवीनीकरण वैधता दिनांक 31/10/2024 तक है।
   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **भू-स्वामित्व** – भू-स्वामित्व संबंधी दस्तावेज (क्रय-विक्रय) प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार भूमि मेसर्स एन.एस. इस्पात (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड (यूनिट-2) के नाम पर है।

3. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- समीपस्थ आबादी ग्राम-सरोरा 540 मीटर, निकटतम रेल्वे स्टेशन डब्ल्यू.आर. एस. कॉलोनी 3.8 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानंद विमानतल, माना, रायपुर 18 कि.मी. की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.1 कि.मी. एवं खारून नदी 8 कि.मी. दूर स्थित है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. **लैण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

| S.No. | Land use | Area (in SQM) | Area (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Rolling Mill Area | 1,040.00 | 25.68 |
| 2. | Raw Material Area | 446.00 | 11.01 |
| 3. | Finished Products Area | 410.00 | 10.12 |
| 4. | Parking Area | 120.00 | 2.96 |
| 5. | Office | 55.00 | 1.36 |
| 6. | Green Belt Area | 1,620.00 | 40.00 |
| 7. | Road Area | 250.00 | 6.17 |
| 8. | Open Area | 109.00 | 2.70 |
| **Total** | | **4,050.00** | **100** |

5. **रॉ-मटेरियल क्षमता –**

| S.No | Raw Material | Quantity (MTPA) | Source | Mode of Transport |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Billets/ Ingots | 31,500 | Open Market | Road |

6. **प्रस्तावित कार्यकलाप का विवरण निम्नानुसार है–**

| S. No. | Particular | Proposed |
|---|---|---|
| 1. | Unit | Regularization of existing Rolling Mill |
| 2. | Products | Re-rolled products – 30,000 TPA |

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कोल गैसीफायर आधारित रि-हिटिंग फर्नेस रोलिंग मिल स्थापित है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है।

8. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – रोलिंग मिल से मिल स्केल-800 टन प्रतिवर्ष एवं एण्ड कटिंग-700 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। मिल स्केल एवं एण्ड कटिंग को समीपस्थ स्टील उद्योग इकाई को विक्रय किया जाना बताया गया है।

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु वन टाईम वॉटर डिमांड 8 घनमीटर प्रतिदिन है। परियोजना हेतु फ्रेश वॉटर कुल 5 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक उपयोग हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 1 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट एवं डस्ट स्प्रेशन हेतु 1 घनमीटर प्रतिदिन) उपयोग किया जाता है। जल की आपूर्ति भू–जल से की जाती है। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से कूलिंग उपरांत जनित दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोक पीट स्थापित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग /आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग द्वारा परिसर में रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

10. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 3 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होती है। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है। समिति का मत है कि वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट कॉन्फिगरेशन एवं चिमनी की ऊँचाई के संबंध में जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

11. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.162 हेक्टेयर (40 प्रतिशत) क्षेत्र में 405 नग पौधों का वृक्षारोपण किये जाने का प्रस्ताव दिया गया है। समिति का मत है कि वृक्षारोपण हेतु (पौधों की संख्या सहित) पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं मदवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 01 मार्च 2023 से 31 मई 2023 के मध्य किया गया है।

13. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार "The Central Government hereby directs that all the standalone re-rolling units or cold rolling units, which are in existance and in operation as on the date of this notification, with valid Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the concerned State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee, as the case may be, shall

apply online for grant of Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance and the said units shall be granted Standard Terms of Reference as per item 3(a) of the said notification and shall be exempted from the requirement of public consultation.

Provided that the application for the grant of ToR shall be made within a period of one year from the date of this notification." का उल्लेख है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3260(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

i. Project proponent shall submit the plant layout plan with KML file.

ii. Project proponent shall submit certified compliance report from Chhattisgarh Environment Conservation Board of air and water consent.

iii. Project proponent shall submit air pollution control arrangement alongwith stack height details and pollution emission level calculation.

iv. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

v. Project proponent shall submit the annual audited balance sheet of last financial year.

vi. Project proponent shall submit details of DG set alongwith stack height calculation.

vii. Project Proponent shall submit the details of coal gasifier along with its capacity use in reheating furnace.

viii. Project proponent shall submit the details of phenolic water generation and its disposal facility / mechanism.

ix. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments with stack height calculation and pollution emission level calculation.

x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xii. Project proponent shall submit the Central Ground Water Authority NOC for uses of water.

xiii. Project proponent shall submit data of the quantity of ash generated from coal burning and the drainage system.

xiv. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rainwater harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

xv. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report.

xvi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xvii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xviii. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xix. Project proponent shall submit CER proposal of atleast 1.5 times the slab given in the OM dated 01.05.2018 for SPA and 2 times for CPA.

xx. Project proponent shall submit CER proposals of plantation with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स शिव रिफल इस्पात प्राईवेट लिमिटेड (यूनिट-2), ग्राम-सरोरा, तहसील-धरसींवा, जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2902)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 432073/2023, दिनांक 03/08/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम-सरोरा, तहसील-धरसींवा, जिला-रायपुर, खसरा क्रमांक 422/1, 423/2, 424, 425 एवं 426/1, कुल क्षेत्रफल-2.42 हेक्टेयर, रेगुलाईजेशन ऑफ रि-रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स क्षमता-30,000 मिट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग 2.88 करोड़ रूपये होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 480वीं बैठक दिनांक 10/08/2023:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कौशिक पटेल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. जल एवं वायु सम्मति –

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा रि-रोल्ड प्रोडक्ट्स (थ्रू इण्डक्शन फर्नेस) क्षमता – 30,000 मिट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु संचालन सम्मति दिनांक 10/08/2020 को जारी की गई, जिसकी वैधता संचालन प्रारंभ माह के प्रथम दिनांक से 12 माह की अवधि

सक है। समिति का मत है कि उद्योग संचालन प्रारंभ की जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **भू-स्वामित्व** – प्रस्तुत भूमि संबंधी दस्तावेज अनुसार भूमि श्री जयेश पटेल के नाम पर है। समिति द्वारा पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन एवं क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा जारी सम्मति नवीनीकरण में खसरा क्रमांक 422/1, 423/2, 424, 425 एवं 426/1 का उल्लेख है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में खसरा क्रमांक 422/1, 423/2, 424, 425 एवं 426/1 का कुल क्षेत्रफल 2.42 हेक्टेयर बताया गया है, जबकि क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जारी सम्मति नवीनीकरण में खसरा क्रमांक 422/1, 423/2, 424, 425 एवं 426/1 का कुल क्षेत्रफल 1.184 हेक्टेयर का उल्लेख है। समिति द्वारा यह भी पाया गया कि उक्त खसरों के अनुसार प्रस्तुत भूमि संबंधी दस्तावेजों में उल्लेखित क्षेत्रफल में भिन्नता है। समिति का मत है कि उपरोक्त विसंगतियों के संबंध में भूमि दस्तावेजों की पुष्टि बाबत् छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल एवं परियोजना प्रस्तावक से स्पष्ट जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है। साथ ही यह भी मत है कि उल्लेखित क्षेत्रफल एवं खसरों में भिन्नता होने के कारण प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में विचार किया जाना संभव नहीं है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** परियोजना प्रस्तावक के आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत् पालन करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की गई। साथ ही उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल एवं परियोजना प्रस्तावक को भूमि दस्तावेजों की पुष्टि बाबत् पत्र लेख किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. **मेसर्स विनायका आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज, ग्राम-पाली, तहसील व जिला-रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1746)**

**ऑनलाईन आवेदन** – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 65904/ 2021, दिनांक 22/07/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/432126/ 2023, दिनांक 05/06/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

**प्रस्ताव का विवरण** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम-पाली, तहसील व जिला-रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 28/2, 29/1, 29/3, 29/4 एवं 29/5, कुल

क्षेत्रफल – 5.53 हेक्टेयर (13.67 एकड़) में डीआरआई प्लांट (स्पंज आयरन) क्षमता – 62,700 टन प्रतिवर्ष (95 टन प्रतिदिन गुणा 2 नग), डब्ल्यूएचआरबी आधारित पॉवर प्लांट क्षमता – 6 मेगावॉट (13.5 टन प्रतिघंटा गुणा 2 नग) एवं एफबीसी आधारित पॉवर प्लांट क्षमता – 8 मेगावॉट (36 टन प्रतिघंटा गुणा 1 नग) की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना की कुल लागत 110 करोड़ होगी।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/03/2022 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टेण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फैरस एण्ड नॉन फैरस) हेतु टी.ओ.आर. जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 03/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 480वीं बैठक दिनांक 10/08/2023**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुरेश कुमार अग्रवाल, पार्टनर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पायोनीयर इन्वायरो लेबोरेटरी एण्ड कन्सल्टेंट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री महेश्वर रेड्डी उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्शे, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –

- निकटतम आबादी ग्राम–पाली 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन किरोड़ीमल नगर 7.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 2.8 कि.मी. दूर है। केलो नदी 2.5 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

- उर्दना आरक्षित वन 900 मीटर, रक्सी आरक्षित वन 2.3 कि.मी., तराईमाल आरक्षित वन 2.6 कि.मी. एवं बरकाछार आरक्षित वन 3.2 कि.मी. की दूरी पर है।

- लाखा संरक्षित वन 1.7 कि.मी., खारिडुंगरी संरक्षित वन 3.8 कि.मी., पुंगापाली संरक्षित वन 4.4 कि.मी., केराडुंगरी संरक्षित वन 5.5 कि.मी., बरिला संरक्षित वन 6.3 कि.मी., पूंजीपथरा संरक्षित वन 6.6 कि.मी., सिरपानी संरक्षित वन 7.1 कि.मी., जुनवानी संरक्षित वन 7.8 कि.मी. एवं पखार संरक्षित वन 8.7 कि.मी. की दूरी पर है।

2. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –

| S.No. | Land use | Area (in Ha.) | Area in % |
|---|---|---|---|
| 1. | Plant Area | 1.20 | 21.8 |
| 2. | Raw Material Storage yard | 0.50 | 9.0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | Product Storage yard | 0.40 | 7.2 |
| 4. | Solid Waste Storage yard | 0.30 | 5.4 |
| 5. | Internal Roads | 0.50 | 9.0 |
| 6. | Greenbelt Area | 1.83 | 33.0 |
| 7. | Water Reservoir and RWH | 0.10 | 1.8 |
| 8. | Parking Area | 0.70 | 12.6 |
| Total | | 5.53 | 100 |

3. भू–स्वामित्व – भूमि मेसर्स विनायक आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज के नाम पर है। पार्टनरशीप डीड की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार श्री उत्तम कुमार अग्रवाल, श्री पुष्कर लाल अग्रवाल एवं श्री सुरेश कुमार अग्रवाल पार्टनर हैं।

4. रॉ–मटेरियल –

| S.No. | Raw Material | | Quantity (In TPA) | Sources | Mode of Transport |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DRI Kiln (Sponge Iron) - 62,700 TPA | | | | |
| a) | Iron ore | | 1,00,320 | Barbil, Odisha NMDC, CG | By Rail & Road (Through Covered Trucks) |
| b) | Coal | Indian | 81,510 | SECL CG / MCL Odisha | By Rail & Road (Through Covered Trucks) |
| | | Imported | 52,166 | Indonesia / South Africa / Australia | Through Sea Route, Rail & Road |
| c) | Dolomite | | 3,135 | Raigarh | By Road (Through Covered Trucks) |
| 2. | FBC Boiler (Power Generation) - 8 MW | | | | |
| a) | Indian Coal | | 53,460 | SECL CG / MCL Odisha | By Rail & Road (Through Covered Trucks) |
| OR | | | | | |
| b) | Imported Coal | | 34,268 | Indonesia / South Africa / Australia | Through Sea Route / Rail / Road |
| OR | | | | | |
| c) | Dolochar | | 18,180 | In Plant Generation | Through Covered Conveyors |
| | Indian Coal | | 44,055 | SECL CG / MCL Odisha | By Rail & Road (Through Covered Trucks) |
| OR | | | | | |
| d) | Dolochar | | 18,180 | In Plant Generation | Through Covered Conveyors |
| | Imported Coal | | 24,863 | Indonesia / South Africa / Australia | Through Sea Route / Rail / Road |

5. प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –

| S. No. | Unit (Product) | | Capacity |
|---|---|---|---|
| 1. | DRI Plants (Sponge Iron) | | 2 x 95 TPD (62,700 TPA) |
| 2. | Power Plant | WHRB Based | 5 MW (2 x 13.5 TPH) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (electricity) | FBC Based | 8 MW (1 x 36 TPH) |

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – परियोजना हेतु डीआरआई किल्न के साथ डब्ल्यु एचआरबी आधारित पॉवर प्लांट में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु एलेक्ट्रो स्टेटिक प्रेसिपिटेटर (ESP) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। एफबीसी बॉयलर में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु एलेक्ट्रो स्टेटिक प्रेसिपिटेटर (ESP) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। सभी ट्रांसफर पॉइन्ट्स, क्रशिंग इकाई, आदि से होने वाले धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु ड्राई फॉगिंग सिस्टम के साथ बैग फिल्टर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। सभी चिमनियों से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाना प्रस्तावित है। एस.ओ.$_2$ की उत्सर्जन की मात्रा में कमी लाने हेतु स्टैक इनलेट के पहले लाईम डोसिंग इकाई स्थापित की जाएगी। एन.ओ.एक्स (NOx) बर्नर में कमी हेतु तीन स्तरीय कम्बशन, फ्लू गैस रिसरक्युलेशन एवं ऑटो कम्बशन कंट्रोल व्यवस्था का उपयोग किया जाएगा। चिमनी की ऊंचाई की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार डीआरआई किल्न हेतु प्रस्तावित चिमनी की ऊंचाई 50 मीटर तथा एफबीसी बॉयलर हेतु प्रस्तावित चिमनी की ऊंचाई 81 मीटर रखा जाना प्रस्तावित है।

7. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** –

| Waste | Quantity (In TPA) | Disposal |
|---|---|---|
| Ash from DRI Kiln | 11,286 | Will be given to brick manufacturers |
| Dolochar | 18,180 | Will be used in FBC power plant as fuel |
| Kiln Accretion Slag | 564 | Will be used in road construction and given to brick manufacturer |
| Wet Scrapper Sludge | 2,884 | Will be used in road construction and given to brick manufacturer |
| Ash from power plant (with Indian coal + dolochar) | 31,110 | Ash generated is being given to cement Plants / brick Manufacturers |

8. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 340 घनमीटर जल प्रतिदिन {डीआरआई किल्न में 50 घनमीटर प्रतिदिन, पॉवर प्लांट में 280 घनमीटर प्रतिदिन (कूलिंग टॉवर मेकअप में 135 घनमीटर प्रतिदिन, बॉयलर मेकअप में 101 घनमीटर प्रतिदिन एवं डीएम रिजनरेशन में 44 घनमीटर प्रतिदिन) तथा घरेलू उपयोग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन} का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। भू-जल जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से 340 घनमीटर प्रतिदिन हेतु अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 25/08/2025 तक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होगा। डीआरआई किल्न से उत्पन्न जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग (Closed circuit cooling system) हेतु उपयोग में लाया जाएगा। प्रस्तावित पॉवर प्लांट से दूषित जल की मात्रा 114 घनमीटर प्रतिदिन {पॉवर प्लांट से 108 घनमीटर

प्रतिदिन (कूलिंग टॉवर ब्लोडाउन से 34 घनमीटर प्रतिदिन, बॉयलर ब्लोडाउन से 28 घनमीटर प्रतिदिन एवं डीएम रिजनरेशन से 44 घनमीटर प्रतिदिन) तथा सेनेट्री उपयोग से 8 घनमीटर प्रतिदिन] उत्पन्न होगा। औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु ई.टी.पी. (न्यूट्रिलाईजेशन सिस्टम) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना से घरेलू दूषित जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (क्षमता 8 घनमीटर) की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखा जाना प्रस्तावित है।

- **भू-जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 39,942.03 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 12 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (व्यास 4 मीटर एवं गहराई 2.4 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

9. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु 24 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। कन्सट्रक्शन फेज के दौरान विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाएगी। प्रस्तावित कार्यकलाप के दौरान विद्युत की आपूर्ति कैप्टिव प्लांट क्षमता 14 मेगावॉट (एफबीसी आधारित 8 मेगावॉट एवं डब्ल्यूएचआरबी आधारित 6 मेगावॉट) से की जाएगी।

10. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – प्रस्तावित परियोजना से हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल 1.83 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) क्षेत्र में पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित उद्योग परिसर के चारों ओर 15 मीटर की मोटाई में वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

11. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण**–

    i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 15 अक्टूबर 2021 से 15 जनवरी 2022 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल:–

| Concentration level (µg/m³) of criteria pollutants | | | |
|---|---|---|---|
| Criteria Pollutants | Minimum (µg/m³) | Maximum (µg/m³) | CPCB Standard (µg/m³) |
| $PM_{2.5}$ | 22.5 | 52.5 | 60 |
| $PM_{10}$ | 48.6 | 87.5 | 100 |
| $SO_2$ | 11.9 | 26.9 | 80 |
| $NO_2$ | 13.8 | 39.3 | 80 |

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता– ई.आई.ए. के Chapter Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार फ्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रासायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर:–

| Noise level - dB (A) | | | |
|---|---|---|---|
| Equivalent Noise level | Minimum dB (A) | Maximum dB (A) | CPCB Standard dB (A) |
| Day $L_{eq}$ | 45.2 | 55.9 | 75 |
| Night $L_{eq}$ | 37.1 | 43.6 | 70 |

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. पी.सी.यू. की गणना:– भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 794 पी.सी.यू. प्रतिघंटा है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 40 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 834 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.556 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Good 0.4 to 0.6) के भीतर है।

12. **वन्यप्राणी संरक्षण योजना** – 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक के आदेश क्रमांक व.प्रा. /प्रबंध–570/119 नवा रायपुर दिनांक 27/06/2022 के द्वारा रुपये 49 लाख (5 वर्ष में) की वन्य प्राणी संरक्षण योजना के अनुमोदन उपरांत प्रस्तुत की गई है। वन्य प्राणी संरक्षण योजना में प्रावधानित राशि रुपये 49 लाख (5 वर्ष में) एकमुश्त जमा करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को आदेशित किया गया है। समिति का मत है कि वन्यप्राणियों के संरक्षण हेतु तैयार पांच वर्षीय योजना की राशि बहुत कम प्रतीत हो रही है, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में राशि बहुत ही कम प्रस्तावित है, जिसे और बढ़ाया जाये। वन क्षेत्र के समीप उद्योग स्थापना से ईको सिस्टम को जितना सतत् आघात लगता है, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती फिर भी प्रतिवर्ष प्रस्तावित राशि, कुल प्रोजेक्ट लागत को दृष्टिगत रखते हुये वन्यप्राणी संरक्षण कार्यों की आवश्यकता के अनुरूप हो। प्रस्तावित लौह उद्योग आरक्षित एवं संरक्षित वनों से घिरा हुआ है और यह वन, हाथियों तथा अन्य वन्य प्राणियों के स्थायी आश्रय एवं रहवास स्थल है, जहां सदैव वन्यप्राणी आश्रय पाते हैं। किसी उद्योग की आयु कम से कम 30 वर्ष मानी गई है। इससे अधिक भी हो सकती है। यह उद्योग 24 घंटे और वर्षभर कार्यरत रहेगा। इसके फलस्वरूप पर्यावरण पर प्रभाव भी सतत् बना रहेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा

प्रारंभिक चरण में 5 वर्षों की वन्यप्राणी संरक्षण योजना तैयार कर प्रस्तुत की गई, उसके पश्चात् उद्योग की आयु (30 वर्ष) तक प्रत्येक 5 वर्ष में "पुनरीक्षित वन्यप्राणी संरक्षण योजना" तैयार कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। ताकि वन्य प्राणियों के रहवास वनों को, उद्योग के मिट्टी, जल, वायु, ध्वनि एवं प्रकाश के प्रदूषण जनित प्रतिकूल प्रभावों से एवं उद्योग जनित अत्यधिक जैविक दबाव से संरक्षित किया जा सके। उद्योग जनित तापक्रम बढ़ने से जंगलों में आग लगने की घटनायें भी होती है।

वन्यप्राणियों की समुचित सुरक्षा, संरक्षण, प्रबंधन एवं उनके रहवास का संरक्षण एवं प्रबंधन एक बार (one time) किये जाने वाला कार्य नहीं है और न ही यह केवल 5 वर्ष का कार्य है। बल्कि यह सतत् किये जाने वाले कार्य है और जब वन्यप्राणियों का स्थायी रहवास औद्योगिक प्रदूषण से सतत् प्रभावित हो रहा हो तो और अधिक गहन वन्यजीव संरक्षण एवं प्रबंधन (Intensive Wildlife Conservation and Management) की सतत् आवश्यकता होती है। इसी तरह प्रदूषित वातावरण में उनके रहवास की भी गहन संरक्षण एवं प्रबंधन (Intensive Habitat Protection, Conservation & Management Plan) योजना की सतत् आवश्यकता होती है।

दीर्घ अवधि की वन्यप्राणी संरक्षण योजना के अभाव में दीर्घ अवधि की पर्यावरणीय स्वीकृति दिया जाना संभव नहीं होगा। प्रत्येक 5 वर्ष पूर्ण होने के एक वर्ष पूर्व आगामी 5 वर्षों के लिए "समुचित वन्यप्राणी संरक्षण प्रबंधन योजना" तैयार कर विधिवत् सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर संरक्षण योजना की राशि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़ से परामर्श उपरांत "राज्य कैम्पा मद (State CAMPA Fund)" में जमा की जाएगी। इस आशय का शपथ पत्र (Affidavit) परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया जाए। इसके पश्चात् ही आगामी कार्यवाही किया जाना संभव होगा।

13. लोक सुनवाई दिनांक 11/01/2023 प्रातः 11:00 बजे स्थान – बंजारी मंदिर के सामने का मैदान, ग्राम–तराईमाल, तहसील–घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 23/03/2023 द्वारा प्रेषित किया गया है।

14. जनसुनवाई के दौरान 300–400 लोग उपस्थित हुये। उपस्थित सभी जनसमुदाय द्वारा प्रस्तावित उद्योग का समर्थन किया गया है।

15. लोक सुनवाई तिथी के पूर्व लिखित रूप से 8 अभ्यावेदन प्राप्त हुये है, जिसमें निम्न **सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये है–**

   i. प्रस्तावित उद्योग से आस–पास के मत्स्य कृषकों के तालाबों/कैरी जलाशय क्षेत्र में दुष्प्रभाव पड़ेगा।

   ii. इस उद्योग द्वारा स्थानीय लोगों को कोई रोजगार नहीं दिया गया है और ना किसी प्रकार का विकास कार्य में खर्च किया गया है। उद्योग से निकलने वाली प्रदूषण से खेत बर्बाद हो गया है।

**लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–**

i. केलो नदी 2.5 कि.मी., सनिपत्का तालाब 4.4 कि.मी. एवं नेरपानी नाला 2.5 कि.मी. की दूरी पर है प्रस्तावित स्थल से कोई नदी नाला नहीं गुजरता है।

ii. उद्योग में वायु प्रदूषण के रोकथाम के लिए एलेक्ट्रो स्टेटिक प्रेसिपिटेटर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिससे पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखी जाएगी। औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु ई.टी.पी. स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

समिति का मत है कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Additional Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 11,000 | Up to 100 Crores 2% & 100 Crores to 500 Crores 1.5% | 215 | Following activities at, **Village- Pali, Chiraipani & Lakha** | |

सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको–पार्क निर्माण" के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत लाखा के आश्रित ग्राम चिरईपानी के खसरा क्रमांक 72 क्षेत्रफल 3.407 हेक्टेयर एवं ग्राम लाखा खसरा क्रमांक 204 क्षेत्रफल 17.244 हेक्टेयर क्षेत्र में ईको–पार्क निर्माण हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत की गई है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत देलारी के आश्रित ग्राम पाली के खसरा क्रमांक 19 एवं 24 कुल क्षेत्रफल 6.487 हेक्टेयर क्षेत्र में ईको–पार्क निर्माण हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि ईको–पार्क निर्माण हेतु प्रस्तावित ग्रामों (ग्राम–चिरईपानी, लाखा एवं पाली) द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि के अनुसार कुल वृक्षों की गणना करते हुये प्रथम वर्ष में ही पौधों का रोपण (80 प्रतिशत जीवित दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव भिन्न–भिन्न (ग्राम अनुसार) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित उद्योग से निकटतम आरक्षित वन, संरक्षित वन एवं ऑरेंज एरिया की जानकारी हेतु वनमण्डल अधिकारी, रायगढ़ वन मण्डल, रायगढ़ को आवेदन किया गया है।

18. कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायगढ़ संभाग, रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 4567/तक./2022–23 रायगढ़, दिनांक 14/07/2022 अनुसार एक्टा प्रोजेक्ट क्षेत्र से निकटतम ग्राम पाली की सड़क मार्ग की दूरी 1.5 कि.मी. है।

19. कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/वाचक/अ.वि.अ./2022 रायगढ़, दिनांक 18/08/2022 अनुसार प्रस्तावित प्रोजेक्ट से सबसे नजदीक ग्राम पाली की वायुमार्ग से दूरी 0.512 कि.मी. एवं सड़क मार्ग से दूरी 1.5 कि.मी. है।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

22. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. स्थानीय लोगों को उनके योग्यता के आधार पर रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. प्रस्तावित परियोजना के तहत् कुल क्षेत्रफल का 34.16 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-**

1. स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् ईको-पार्क निर्माण हेतु प्रस्तावित ग्रामों (ग्राम-चिरईपानी, लाखा एवं पाली) द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि के अनुसार कुल वृक्षों की गणना करते हुये प्रथम वर्ष में ही पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव भिन्न-भिन्न (ग्राम अनुसार) प्रस्तुत किया जाए।
3. हाथियों के संरक्षण हेतु तैयार 5 वर्षीय योजना की राशि बहुत कम प्रतीत हो रही है। तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में राशि बहुत ही कम है। वन क्षेत्र के समीप उद्योग स्थापना से ईको सिस्टम को निरंतर सतत् आघात लगता है, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती फिर भी प्रथम 5 वर्षों हेतु यह राशि कुल प्रोजेक्ट लागत को दृष्टिगत रखते हुये वन्यप्राणी संरक्षण कार्यों की आवश्यकता के अनुरूप हो। अतः इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी एवं जैवविविधता संरक्षण) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर से पुनःरीक्षित/जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
4. उद्योग की आयु (Life of Industry) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए तथा इस आशय का शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत करे कि परियोजना प्रस्तावक उद्योग की आयु तक वन्यप्राणी संरक्षण योजना प्रत्येक 5 वर्ष में सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित कराकर प्रस्तुत करेंगे तथा निर्धारित राशि "राज्य कैम्पा मद (State CAMPA Fund)" में जमा करेंगे।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. **मेसर्स मोहब्बत महिला स्वसहायता समूह, तेलगुड़ा सोसायटी, अध्यक्ष–श्रीमती संगीता पीत (तेलगुड़ा सेण्ड माईन–1), ग्राम–तेलगुड़ा, तहसील–चारामा, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2904)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 432129/ 2023, दिनांक 04/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–तेलगुड़ा, ग्राम पंचायत मिलाई, तहसील–चारामा, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1, कुल क्षेत्रफल–4.9 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–69,825 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 480वीं बैठक दिनांक 10/08/2023:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती संगीता पीत, अध्यक्ष (मोहब्बत महिला स्वसहायता समूह, तेलगुड़ा सोसायटी) उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मिलाई का दिनांक 15/02/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप–संचालक (ख.प्र.), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 1055/खनिज/उत्ख.यो.अनु./रेत/2023–24 उ.ब.कांकेर, दिनांक 25/05/2023 द्वारा अनुमोदित है।
5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 1060/खनिज/ख.लि./रेत/2023 कांकेर, दिनांक 25/05/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 1059/खनिज/ख.लि./रेत/2023 कांकेर, दिनांक 25/05/2023 द्वारा जारी

प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, रेल लाईन, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, मरघट एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. मोहब्बत महिला स्वसहायता समूह, तेलगुड़ा सोसायटी, अध्यक्ष–श्रीमती संगीता पौल के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 986/खनिज/रेत/2023 कांकेर, दिनांक 16/06/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 1 वर्ष हेतु वैध है। जारी एल.ओ.आई. में 'छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय (अनुसूचित क्षेत्र हेतु) नियम 2023 नियम 7 के तहत् रेत खदान उत्खनिपट्टा अवधि 5 वर्ष की स्वीकृति के लिए निम्नलिखित शर्तों के पूर्ति हेतु यह आशय–पत्र जारी किया जा रहा है।'' का उल्लेख है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, कांकेर वन मण्डल, जिला–कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2023/2550, कांकेर दिनांक 06/04/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 2 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–तेलगुड़ा 720 मीटर, स्कूल ग्राम–तेलगुड़ा 830 मीटर एवं अस्पताल चारामा 1.1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.15 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 22.05 कि.मी. दूर है। रोड पुल 540 मीटर, नाला 1.6 कि.मी., नहर 3.36 कि.मी. एवं तालाब 800 मीटर दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक एनीकट स्थित नहीं है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 333 मीटर, न्यूनतम 290 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 432 मीटर, न्यूनतम 431 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 125 मीटर, न्यूनतम 102 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी के पूर्वी तट किनारे से दूरी अधिकतम 60 मीटर, न्यूनतम 38 मीटर है।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4.05 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1.5 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा–69,625 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 4.05 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 17/05/2023 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज

विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 27.36 | 2% | 0.54 | Following activities at nearby **Village-Telguda** | |
| | | | Plantation around Pond & AMC for 5 years | 0.60 |
| | | | **Total** | **0.60** |

15. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण हेतु (आम, जामुन आदि) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 25 नग पौधों के लिए राशि 1,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,500 रूपये, खाद के लिए राशि 500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 15,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 18,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 42,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–तेलगुडा, ग्राम पंचायत मिलाई के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (ग्राम–तेलगुडा के खसरा क्रमांक 608 एवं 609 में स्थित तालाब) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

16. वृक्षारोपण कार्य – नदी तट में 750 नग एवं पहुंच मार्ग में 250 नग (कुल 1,000 नग) वृक्षारोपण करने हेतु प्रस्ताव दिया गया है, जो निम्नानुसार है:–

| विवरण | | प्रथम वर्ष (रूपये) | द्वितीय वर्ष (रूपये) | तृतीय वर्ष (रूपये) | चतुर्थ वर्ष (रूपये) | पंचम वर्ष (रूपये) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव | | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| नदी तट एवं पहुंच मार्ग में (1,000 नग) वृक्षारोपण हेतु | वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि | 1,00,000 | — | — | — | — |
| | फेंसिंग हेतु राशि | 1,50,000 | — | — | — | — |
| | खाद हेतु राशि | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| | सिंचाई एवं | 1,50,000 | 1,50,000 | 1,50,000 | 1,50,000 | 1,50,000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | रख–रखाव हेतु राशि | | | | | |
| | अन्य लागत–साईन बोर्ड, रेडियम बार एवं अन्य आकस्मिक कार्य | 5,000 | – | – | – | – |
| कुल राशि = 15,06,000 | | 5,06,000 | 2,50,000 | 2,50,000 | 2,50,000 | 2,50,000 |

17. परियोजना से भिन्न–भिन्न स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

18. खदान क्षेत्र के आस–पास नदी तट एवं पहुँच मार्ग में सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

23. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि अनुमोदित उत्खनन योजना में दिए माईनेबल रिजर्व का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जाएगा एवं खदान में तथा खनन के दौरान सस्टेनेबल सेंड माईनिंग गाईडलाईन 2016 एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

26. पर्यावरण स्वीकृति में दिये गये शर्तों का पालन किये जाने एवं छमाही पालन प्रतिवेदन पर्यावरण कार्यालय में जमा कराने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

28. लीज क्षेत्र के चारों कोनों तथा सीमा लाईन के मध्य में सीमेंट के खम्भे लगाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।

29. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के हैं। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावें। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1.5 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भराव होने की संभावना है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. आवेदित खदान (ग्राम–तेलगुड़ा) का रकबा 4.9 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

3. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जावें।

   ii. पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित चिंह्र बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स मोहब्बत महिला स्वसहायता समूह, तेलगुड़ा सोसायटी, अध्यक्ष–श्रीमती संगीता पोटा (तेलगुड़ा सेण्ड माईन–1), पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1, ग्राम–तेलगुड़ा, तहसील–पखांजूर, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.9 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 44,100 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु **परिशिष्ट–01** में वर्णित शर्तों के अधीन दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

5. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।

6. इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

**6. मेसर्स बिसनपुर लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.–श्री सुरेश अग्रवाल), ग्राम–बिसनपुर, तहसील–बिलाईगढ़, जिला–सारंगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2506)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 432204/ 2023, दिनांक 04/06/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बिसनपुर, तहसील–बिलाईगढ़, जिला–सारंगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 234, कुल क्षेत्रफल–0.748 हेक्टेयर में है। खदान की अपेक्षित उत्खनन क्षमता–17,182.5 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 480वीं बैठक दिनांक 10/08/2023**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 10/08/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से

समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।**

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. **मेसर्स शुभ मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड, डायरेक्टर– श्री प्रतीक कुमार गोयल, ग्राम–डूमरपारा, तहसील–नया बाराद्वार, जिला–सक्ती (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2606)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 432118/2023, दिनांक 05/06/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–डूमरपारा, तहसील–नया बाराद्वार, जिला–सक्ती स्थित खसरा क्रमांक 2335/1, 2335/2, 2335/3, 2335/4, 2335/5, 2335/6, 2335/7, 2335/8, 2335/9, 2335/10, 2335/11, 2335/12, 2335/13, 2335/14 एवं 2335/15, कुल क्षेत्रफल–4.883 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–2,00,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 480वीं बैठक दिनांक 10/08/2023:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दीपक गुप्ता, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक एवं दिनांक सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलौंग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 967/खनिज/उ.प.अ./2022–23 कोरबा, दिनांक 01/05/2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सक्ती के ज्ञापन क्र. 125/गौण खनिज/न.क./2022–23 सक्ती, दिनांक 05/04/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 9 खदानें, क्षेत्रफल 485.784 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सक्ती के ज्ञापन क्र. 124/गौण खनिज/न.क./2023 सक्ती, दिनांक 05/04/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट,

पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – भूमि एवं एल.ओ.आई. मेसर्स शुभ मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड डॉयरेक्टर श्री प्रतीक कुमार गोयल के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सक्ती के ज्ञापन क्र. 73/गौण खनिज/न.क्र./2023 सक्ती, दिनांक 22/02/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमंडल अधिकारी, जांजगीर–चाम्पा के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./5587 चांपा, दिनांक 26/09/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 390 मीटर की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी कुनरपारा 1 कि.मी., स्कूल कुनरपारा 1 कि.मी. एवं अस्पताल नया बाराद्वार 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2 कि.मी. दूर है। तालाब 1.4 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 37,24,745 टन एवं माईनेबल रिजर्व 20,03,123 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 9,839.46 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर, मात्रा 32,046.6 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 से 6 मीटर होगी। खदान की संभावित आयु 30 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर, रॉक ब्रेकर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---|---|
| प्रथम | 1,60,000 |
| द्वितीय | 1,80,000 |
| तृतीय | 2,00,000 |
| चतुर्थ | 2,00,000 |
| पंचम | 2,00,000 |

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति का स्त्रोत एवं संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,985 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सक्ती के ज्ञापन क्र. 125/गौण खनिज/न.क्र./2022–23 सक्ती, दिनांक 06/04/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 9 खदानें, क्षेत्रफल 485.784 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–कूनरपारा) का रकबा 4.683 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–कूनरपारा) को मिलाकर कुल रकबा 490.467 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का कलस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई–

   i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

   ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

   iii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

   iv. Project proponent shall submit the top soil/OB management plan & incorporate the details in the EIA report.

   v. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

vi. Project proponent shall submit the NOC of Gram Panchayat (alongwith its minutes of meeting) for Mining Activity.

vii. Project proponent shall submit the details of water requirement along with its source and shall also submit a copy of NOC for usage of water from competent authority.

viii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

ix. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

x. EIA study shall be done at minimum 10 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiv. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.

xv. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xvi. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible tall tree species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xvii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स अकलसरा डोलोमाइट क्वारी (प्रो.—श्री रचित अग्रवाल), ग्राम—अकलसरा, तहसील—जैजैपुर, जिला—जांजगीर—चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2334)

ऑनलाईन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 421822/2023, दिनांक 10/03/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 22/03/2023 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 05/06/2023 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–अकलसरा, तहसील–जैजैपुर, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक 869/2, 870/2, 871, 872/1, 872/2, 876, 893/2 एवं 894, कुल क्षेत्रफल–1.884 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–80,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 480वीं बैठक दिनांक 10/08/2023:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री वैभव अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अकलसरा का दिनांक 15/05/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म के ज्ञापन क्रमांक 584/माईनिंग–2/क्यू.पी./एम.एन.05/2022 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 25/01/2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सक्ती के ज्ञापन क्र. 15/गौण खनिज/न.क्र./2022–23 सक्ती, दिनांक 13/01/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 21.519 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सक्ती के ज्ञापन क्रमांक 128/गौण खनिज/न.क्र./2023 सक्ती, दिनांक 12/04/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट एवं बांध आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. श्री रचित अग्रवाल के नाम पर है, जो छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर के ज्ञापन क्र. एफ 3–2/2019/12 नवा रायपुर, दिनांक 12/10/2020 द्वारा जारी की गई है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया है कि एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् दिनांक 10/08/2023 को आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है।
7. **भू–स्वामित्व** – भूमि श्री रितेश कुमार, श्री सुधीर कुमार, श्री प्रशांत कुमार, श्रीमती शोभा, श्रीमती शालू, श्रीमती सुशीला एवं श्री शिव कुमार के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों के सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमंडलाधिकारी, जांजगीर–चाम्पा वनमण्डल, चाम्पा के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./1412 चाम्पा, दिनांक 25/02/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 6 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी एवं स्कूल ग्राम–अकलतरा 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 22 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 11 कि.मी. दूर है। नाला 50 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 14,78,585 टन, माईनेबल रिजर्व 8,72,189 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 8,28,580 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,400 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 29.12 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.87 मीटर एवं मात्रा 6,586.4 घनमीटर है। लीज क्षेत्र में ओवर बर्डन की मोटाई 0.95 मीटर एवं मात्रा 9,338.92 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 13.8 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---|---|
| प्रथम | 40,000 |
| द्वितीय | 50,000 |
| तृतीय | 60,000 |
| चतुर्थ | 70,000 |
| पंचम | 80,000 |

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति का स्त्रोत एवं संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 882 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य

(ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सक्ती के ज्ञापन क्र. 15/गौण खनिज/न.क्र./2022-23 सक्ती, दिनांक 13/01/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 21.819 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-अकलसरा) का रकबा 1.884 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-अकलसरा) को मिलाकर कुल रकबा 23.703 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का कलस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टेण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments with stack height calculation and pollution emission level calculation.

iv. Project proponent shall submit the LOI (letter of Intent) extension copy.

v. Project proponent shall submit the top soil & over burden management plan & incorporate the details in the EIA report.

vi. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

vii. Project proponent shall submit the details of water requirement along with its source and shall also submit a copy of NOC for usage of water from competent authority.

viii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

ix. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiv. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.

xv. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xvi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. **मेसर्स सिरी सेण्ड क्वारी (सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत सिरी), ग्राम–सिरी, तहसील–पसान, जिला–कोरबा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2507)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 432489/2023, दिनांक 07/06/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–सिरी, तहसील–पसान, जिला–कोरबा स्थित खसरा क्रमांक 21, कुल क्षेत्रफल – 3.036 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन कमनी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–18,210 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 480वीं बैठक दिनांक 10/08/2023:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दलप्रताप कमरो, सरपंच, ग्राम पंचायत सिरी उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सिरी का दिनांक 07/12/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

4. **उत्खनन योजना** – माईन प्लान विथ सेण्ड रिप्लेनिशमेंट एण्ड इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 1026/खनिज/उ.प.अ./2023–24 कोरबा, दिनांक 25/05/2023 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 1024/खनिज/2023 कोरबा, दिनांक 25/05/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 1024/खनिज/2023 कोरबा, दिनांक 25/05/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, मरघट एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत सिरी के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 1016/खलि–/2023 कोरबा, दिनांक 23/05/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है। जारी एल.ओ.आई. में "छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय (अनुसूचित क्षेत्र हेतु) नियम 2023 के तहत् आवेदित भूमि में गौण खनिज साधारण रेत हेतु उत्खननपट्टा विलेख के पंजीयन दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के लिए उत्खननपट्टा स्वीकृति के लिए निम्नलिखित शर्तों के पूर्ति हेतु यह आशय–पत्र जारी किया जा रहा है।" का उल्लेख है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, कटघोरा वन मण्डल कटघोरा, जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2023/2418 कटघोरा, दिनांक 13/04/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र कक्ष से 1 कि.मी. की दूरी पर है। आवेदित क्षेत्र में स्थित वृक्षों की संख्या 3 नग है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सिरी 1.2 कि.मी., स्कूल एवं अस्पताल पसान 14.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 कि.

मी. एवं राजमार्ग 14 कि.मी. दूर है। रोड पुल 3.8 कि.मी. एवं तालाब 940 मीटर दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 138 मीटर, न्यूनतम 46 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 624.6 मीटर, न्यूनतम 575 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 82 मीटर, न्यूनतम 19.4 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी के तट किनारे से दूरी अधिकतम 41.7 मीटर, न्यूनतम 10 मीटर है।

समिति द्वारा पाया गया कि जिस खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई 138 मीटर है, उस खनन स्थल पर नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 41.7 मीटर है तथा खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई 46 मीटर है, उस खनन स्थल पर नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 10 मीटर है। अतः नॉन माईनिंग क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 2.32 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा– 18,210 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 4 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 2.32 मीटर है एवं जल स्तर 3 मीटर की गहराई तक प्राप्त हुआ। किये गये गड्ढे नीचे भी पर्याप्त रेत उपलब्ध है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 10/06/2023 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 28.968 | 2% | 0.579 | Following activities at nearby | |
| | | | Pavitra Van Nirman | 0.579 |
| | | | Total | 0.579 |

सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (बड़, नीम, पीपल, बेल, आंवला, जामुन आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 80 नग पौधों के

लिए राशि 5,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 20,436 रुपये, खाद के लिए राशि 1,500 रुपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 5,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 31,936 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 20,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत सिर्री के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 21/1/क, क्षेत्रफल 0.963 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

15. **वृक्षारोपण कार्य** – नदी तट में 550 नग एवं पहुंच मार्ग में 200 नग (कुल 750 नग) वृक्षारोपण करने हेतु प्रस्ताव दिया गया है, जो निम्नानुसार है–

| विवरण | | प्रथम वर्ष (रुपये) | द्वितीय वर्ष (रुपये) | तृतीय वर्ष (रुपये) | चतुर्थ वर्ष (रुपये) | पंचम वर्ष (रुपये) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव | | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| नदी तट एवं पहुंच मार्ग में (750 नग) वृक्षारोपण हेतु | वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि | 22,500 | 2,250 | 240 | — | — |
| | फेंसिंग हेतु राशि | 32,500 | — | — | — | — |
| | खाद हेतु राशि | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| | सिंचाई हेतु राशि | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3,755 | 3,755 |
| कुल राशि = 1,65,000 | | 77,000 | 24,250 | 22,240 | 20,755 | 20,755 |

16. खदान क्षेत्र के आस–पास नदी तट एवं पहुंच मार्ग में सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

19. लीज क्षेत्र के बाहर उत्खनन कार्य नहीं किये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है कि उनके विरूद्ध भारत सरकार,

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

21. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

22. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जावेगा इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है कि अनुमोदित उत्खनन योजना में दिए माईनेबल रिजर्व का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जाएगा एवं खदान में तथा खनन के दौरान सस्टेनेबल सेंड माईनिंग गाईडलाईन 2016 एवं इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

24. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

25. रेत उत्खनन मैन्युअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैन्युअल विधि से ही कराई जावें। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। कमनी नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भराव होने की संभावना है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–**

1. आवेदित खदान (ग्राम–सिर्री) का रकबा 3.035 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

3. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

ii. पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

4. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के उपरोक्त सरल क्रमांक 16 से 23 तक के शपथ पत्र (Notarized undertaking) को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स सिरी सेण्ड क्वारी (सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत सिरी), खसरा क्रमांक 21, ग्राम–सिरी, तहसील–पसान, जिला–कोरबा, कुल लीज क्षेत्रफल 3.035 हेक्टेयर में उत्खनन हेतु वैध क्षेत्र का कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 18,210 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु **परिशिष्ट–02** में वर्णित शर्तों के अधीन दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।

7. इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत् 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. **मेसर्स घुनकट्टा लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री विकास अग्रवाल), ग्राम–घुनकट्टा, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1850)**

**ऑनलाईन आवेदन** – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 69880/2021, दिनांक 07/12/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/432364/2023, दिनांक 08/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–घुनकट्टा, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 49, 50, 51, 52 एवं 53/1, कुल क्षेत्रफल–1.86 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–19,950 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/04/2022 द्वारा प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टेण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 480वीं बैठक दिनांक 10/08/2023:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विकास अग्रवाल, प्रोपराईटर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पी एण्ड एम सोल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री सुभाष कुमार उपस्थित हुए। उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत घुनकट्टा का दिनांक 01/10/2021 को प्रस्ताव पारित किया गया एवं दिनांक 10/10/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (खा.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 4818/खनि 02/मा.प्ला. अनुमोदन/न.क्र.08/2020(2), नवा रायपुर, दिनांक 08/09/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1148/खनि.लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 28/10/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर स्वीकृत 25 खदानें, क्षेत्रफल 41.468 हेक्टेयर है। साथ ही उक्त जारी पत्र अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य 2 खदानों को आशय पत्र जारी किया गया है, जिसका क्षेत्रफल 4.92 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1148/खनि.लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 28/10/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. श्री विकास अग्रवाल के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 152/खनिज/उ.प./2021 दुर्ग, दिनांक 22/06/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। तत्पश्चात् एल.ओ. आई. की वैधता वृद्धि बावत् न्यायालय संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 61/2022 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 09/11/2022 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार **"उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, यह निर्देशित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 42(5) परन्तु के तहत् उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने उपरांत उत्खनन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला दुर्ग को प्रत्यावर्तित किया जाता है।"** होना बताया गया है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 49 श्री प्रभात शंकर अग्रवाल, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 50 श्री तुलसी राम मिश्रा, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 51 श्री शम्भु दयाल मिश्रा, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 52 हरी शंकर मिश्रा एवं पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 53/1 श्री अनीत कुमार सिंघल तथा श्री अम्बर कुमार सिंघल के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2020/4817 दुर्ग, दिनांक 03/12/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 50 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–चुनकट्टा 400 मीटर, स्कूल ग्राम–चुनकट्टा 400 मीटर एवं अस्पताल सेलूद 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1 कि.मी. दूर है। तालाब 260 मीटर एवं खारून नदी 19 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 7,94,365 टन, माईनेबल रिजर्व 1,68,770 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,51,893 टन है। लीज की

7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,124 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 24 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर एवं मात्रा 2,668 घनमीटर है जिसमें से 1,275 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा एवं शेष 1,393 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को गैर माईनिंग क्षेत्र में संरक्षित कर रखा जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---|---|
| प्रथम | 19,950 |
| द्वितीय | 19,950 |
| तृतीय | 19,950 |
| चतुर्थ | 20,040 |
| पंचम | 19,950 |

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8.86 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 822 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत् निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:–

| विवरण | | प्रथम (रूपये) | द्वितीय (रूपये) | तृतीय (रूपये) | चतुर्थ (रूपये) | पंचम (रूपये) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| खदान के बाउण्ड्री में (822 नग) वृक्षारोपण हेतु | वृक्षारोपण हेतु राशि | 79,932 | 6,232 | 6,232 | 6,232 | 6,232 |
| | फेंसिंग हेतु राशि | 1,77,600 | – | – | – | – |
| | खाद हेतु राशि | 6,180 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| | सिंचाई हेतु राशि | 1,20,000 | 1,20,000 | 1,20,000 | 1,20,000 | 1,20,000 |
| | रख–रखाव हेतु राशि | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 |
| कुल राशि = 13,71,160 | | 4,79,712 | 2,22,862 | 2,22,862 | 2,22,862 | 2,22,862 |

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,124 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 720 वर्गमीटर क्षेत्र 10.5 मीटर की गहराई तक एवं 424 वर्गमीटर क्षेत्र 7.5 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। समिति का मत है कि प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

साथ ही समिति का यह भी मत है कि उक्त उत्खनित क्षेत्र (अतिक्रमित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी) के पुनर्भराव हेतु रिस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी ज़ोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र में 1,780 वर्गमीटर क्षेत्र को पूर्ण रूप से प्रस्तावित अधिकतम गहराई तक गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है तथा 953 वर्गमीटर क्षेत्र को 10.5 मीटर की गहराई, 824 वर्गमीटर क्षेत्र का 16.5 मीटर की गहराई, 379 वर्गमीटर क्षेत्र को 7.5 मीटर की गहराई एवं 3,372 वर्गमीटर क्षेत्र को 15 मीटर की गहराई तक उत्खनित करने के पश्चात् गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में किया गया है।

18. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण**–

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य मार्च 2022 से मई 2022 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल**–

| Concentration level (µg/m$^3$) of criteria pollutants | | | |
|---|---|---|---|
| **Criteria Pollutants** | **Minimum (µg/m$^3$)** | **Maximum (µg/m$^3$)** | **CPCB Standard (µg/m$^3$)** |
| $PM_{2.5}$ | 26.28 | 43.58 | 60 |
| $PM_{10}$ | 47.2 | 66.5 | 100 |
| $SO_2$ | 9.08 | 14.63 | 80 |
| $NO_2$ | 11.33 | 20.24 | 80 |

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता**– ई.आई.ए. के Chapter Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तर**–

| Noise level - dB (A) | | | |
|---|---|---|---|
| **Equivalent Noise level** | **Minimum dB (A)** | **Maximum dB (A)** | **CPCB Standard dB (A)** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Day $L_{eq}$ | 49.54 | 61.23 | 75 |
| Night $L_{eq}$ | 40.07 | 52.41 | 70 |

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणना**– भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 1,830 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.122 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 192 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 2,022 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.14 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल/प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0.0-0.2) के भीतर है।

19. लोक सुनवाई दिनांक 11/01/2023, अपरान्ह 12:00 बजे, स्थान – आदिवासी सामुदायिक भवन, ग्राम–चुनकट्टा, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 16/03/2023 द्वारा प्रेषित किया गया है।

20. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये है–**

i. खदान से बस्ती लगा हुआ है एवं बस्ती का आंगनबाड़ी कुछ दूरी पर है।

ii. खदानों से डस्ट उत्सर्जन होता है।

iii. खदान से बस्ती लगे होने के कारण ब्लास्टिंग से अत्यधिक परेशानी होती है।

iv. स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देना चाहिए।

**लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है–**

i. लीज के पास जो आंगनबाड़ी है, ग्राम पंचायत जैसे ही जमीन देगी, खदान के चालू होने के पूर्व हम आंगनबाड़ी के लिए नये बिल्डिंग का निर्माण करायेंगे।

ii. डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु लीज क्षेत्र के चारों ओर प्रथम वर्ष में ही फेंसिंग कराकर वृक्षारोपण किया जाएगा। साथ ही कच्ची सड़क पर जल छिड़काव किया जाएगा।

iii. ब्लास्टिंग का कार्य अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक द्वारा निम्न स्तर पर दिन में एक बार की जाएगी। साथ ही ब्लास्टिंग के पूर्व हुटर द्वारा सूचित किया जाएगा।

iv. खदान में काम करने के लिए स्थानीय रहवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

21. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 28 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है–

| विवरण | | प्रथम (रुपये) | द्वितीय (रुपये) | तृतीय (रुपये) | चतुर्थ (रुपये) | पंचम (रुपये) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पहुँच मार्ग (10 कि.मी.) के दोनों तरफ (6,667 नग) वृक्षारोपण हेतु | वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि | 5,06,692 | 50,616 | 50,616 | 50,616 | 50,616 |
| | ट्री–गार्ड हेतु राशि | 61,33,600 | — | — | — | — |
| | खाद हेतु राशि | 50,010 | 5,010 | 5,010 | 5,010 | 5,010 |
| | सिंचाई हेतु राशि | 12,00,000 | 12,00,000 | 12,00,000 | 12,00,000 | 12,00,000 |
| | रख–रखाव हेतु राशि | 9,60,000 | 9,60,000 | 9,60,000 | 9,60,000 | 9,60,000 |
| **कुल राशि = 1,77,12,806** | | **88,50,302** | **22,15,626** | **22,15,626** | **22,15,626** | **22,15,626** |

योमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

| विवरण | | प्रथम (रुपये) | द्वितीय (रुपये) | तृतीय (रुपये) | चतुर्थ (रुपये) | पंचम (रुपये) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पहुँच मार्ग (348 मीटर) के दोनों तरफ (232 नग) वृक्षारोपण हेतु | वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि | 17,632 | 1,748 | 1,748 | 1,748 | 1,748 |
| | ट्री–गार्ड हेतु राशि | 2,15,600 | — | — | — | — |
| | खाद हेतु राशि | 1,740 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि | 74,973 | 74,973 | 74,973 | 74,973 | 74,973 |
| **कुल राशि = 6,17,549** | | **3,09,945** | **76,901** | **76,901** | **76,901** | **76,901** |

22. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 66 | 2% | 1.32 | Following activities at nearby, **Village-Chunkatta** | |
| | | | Pavitra Van Nirman | 12.19 |
| | | | **Total** | **12.19** |

23. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (नीम, आम, करंज, कदम, जामुन, आंवला, अमलतास, बड़, पीपल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 226 नग पौधों के लिए राशि 17,176 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,02,800 रुपये, खाद के लिए राशि 1,710 रुपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि

के लिए राशि 2,26,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,47,886 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,71,712 रूपये हेतु पटवावार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत कुनकट्टा द्वारा श्री विकास अग्रवाल, कुल लीज क्षेत्रफल 3.08 हेक्टेयर एवं श्री विकास अग्रवाल, कुल लीज क्षेत्रफल 1.86 हेक्टेयर, को सी.ई.आर. के अंतर्गत पवित्र वन निर्माण हेतु खसरा क्रमांक 404 के क्षेत्रफल 0.31 हेक्टेयर में सहमति प्रदान की गई है।

24. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

25. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यो हेतु अनुबंध कराकर जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

26. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये पुनरीक्षित कर प्रस्तुत किया गया है।

27. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि यह एक नवीन खदान है, जो पूर्व से ही उत्खनित है। इस संबंध में समिति का मत है कि उक्त उत्खनित क्षेत्र (प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी) के पुनर्भराव हेतु रिस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

29. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त आश्वासन पूर्ण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

31. कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट के तहत् तय की गई राशि का उपयोग पर्यावरण के हित में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

32. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में फेंसिंग कराकर वृक्षारोपण कार्य किया जाएगा। लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी एवं कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले वृक्षारोपण तथा सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यों की जानकारी जियोटैग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

33. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

34. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भराव में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

35. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

38. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

39. भविष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन नहीं करने एवं उत्खनन क्षमता से अधिक उत्खनन कार्य नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

40. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

41. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

42. आवेदित क्षेत्र में स्थित वृक्षों की प्रजातियों की जानकारी प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही उक्त वृक्षों की आवश्यकता पड़ने पर ही कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत ही किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

43. सी.ई.आर. के अंतर्गत किये जाने वाले वृक्षारोपण का 05 वर्षों तक रख-रखाव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

44. पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) और किसी भी अन्य न्यायालय के आदेश/निर्णय के अधीन है, सामान्य कारण की शर्तें जो लागू हो सकती है, सभी शर्तों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

45. परियोजना प्रस्तावक द्वारा We will comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause Vs Union of India and Others before commencing the mining operations. बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

46. परियोजना प्रस्तावक द्वारा We will comply. The State Government shall ensure that mining operations shall not be commenced till the entire compensation levied if any, for illegal mining paid by the Project Proponent through their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of Judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 2d

August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause Vs Union of India and Others. बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

47. परियोजना प्रस्तावक द्वारा "We will Comply the mitigation measures provided in MOEF&CC OM No. Z- 11013/57/2014-IA.II(M) dated 29/10/2014 titled Impact of Mining activities on Habitations- issues related to the mining projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area." बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

48. परियोजना प्रस्तावक द्वारा "We will Comply, we inform to MOEF&CC/SEIAA for any change in ownership of the mining lease. In case there is any change in ownership or mining lease is transferred. Project Proponent need to apply for transfer of Environmental Clearance as per provisions of the para 11 of EIA Notification, 2006, as amended from time to time." बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

49. सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1146/खनि. लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 28/10/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 28 खदानें, क्षेत्रफल 41.486 हेक्टेयर है। साथ ही उक्त जारी पत्र अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य 2 खदानों को आशय पत्र जारी किया गया है, जिसका क्षेत्रफल 4.92 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–धुमकट्टा) का क्षेत्रफल 1.86 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–धुमकट्टा) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 48.266 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में किये गये उत्खनन हेतु जांच कर दोषी के विरूद्ध कार्यवाही हेतु संचालक, संचालनालय,

भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

4. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

5. उक्त उत्खनित क्षेत्र (प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी) के पुनर्भराव हेतु रेक्टीफिकेशन प्लान को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

6. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स घुनकट्टा लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री विकास अग्रवाल) को ग्राम–घुनकट्टा, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग के पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 49, 50, 51, 52 एवं 53/1 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.86 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता–19,950 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–03** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

**11. मेसर्स घुनकट्टा लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री विकास अग्रवाल), ग्राम–घुनकट्टा, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1851)**

**ऑनलाईन आवेदन** – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 69883/2021, दिनांक 18/12/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/एमआईएन/432373/2023, दिनांक 08/06/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–घुनकट्टा, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 37(पार्ट), 38(पार्ट), 42(पार्ट), 43(पार्ट), 44(पार्ट), 45(पार्ट), 46(पार्ट), 47(पार्ट), 48(पार्ट), 49(पार्ट), 50(पार्ट) एवं 51(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–3.08 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–56,280 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/04/2022 द्वारा प्रकरण "बी1" कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टेण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 480वीं बैठक दिनांक 10/08/2023**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विकास अग्रवाल, प्रोपराईटर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पी एण्ड एम सोल्यूशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री सुभाष कुमार उपस्थित हुए। उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत खुनकट्टा का दिनांक 01/10/2021 को प्रस्ताव पारित किया गया एवं दिनांक 10/10/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 4898/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.08/2020(2) नवा रायपुर, दिनांक 08/09/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1148/खनि.लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 28/10/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 25 खदानें, क्षेत्रफल 41.488 हेक्टेयर है। साथ ही उक्त जारी पत्र अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य 2 खदान हेतु नवीन आशय पत्र जारी किया गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3.7 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1148/खनि.लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 28/10/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल लाईन एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. श्री विकास अग्रवाल के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 155/खनिज/उ.प./2021 दुर्ग, दिनांक 22/06/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक वैध थी। तत्पश्चात् एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् न्यायालय संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 80/2022 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 09/11/2022 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार **"उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, यह निर्देशित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 42(6) परन्तु के तहत् उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने उपरांत उत्खनन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला दुर्ग को प्रत्यावर्तित किया जाता है।"** होना बताया गया है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 37, 44 एवं 48 श्री अमित कुमार तथा श्री अम्बर कुमार, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 38, 43 एवं 47 श्रीमती मीरा, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 42 एवं 46 श्री भोला शंकर अग्रवाल, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 45 श्रीमती मोहनी देवी मिश्रा, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 50 श्री तुलसी

ग्राम मिश्रा, फार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 51 श्री शम्भु दयाल मिश्रा के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी दुर्ग वनमण्डल, दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2020/4818 दुर्ग, दिनांक 19/12/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 80 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–धुनकट्टा 250 मीटर स्कूल ग्राम–धुनकट्टा 250 मीटर एवं अस्पताल सेलूद 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 900 मीटर दूर है। तालाब 210 मीटर, खारून नदी 19 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 15,25,772 टन, माईनेबल रिजर्व 6,01,822 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 5,41,640 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,966 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 21 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर एवं मात्रा 5,344 घनमीटर है, जिसमें से 2,042 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा, 962 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को हरित पट्टी के उत्खनित भाग के पुनः भराव में उपयोग किया जाएगा एवं शेष 2,360 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 6,870 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र में संरक्षित रखा जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 11 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

| वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---|---|
| प्रथम | 54,970 |
| द्वितीय | 96,280 |
| तृतीय | 96,280 |
| चतुर्थ | 96,280 |
| पंचम | 96,280 |

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,113 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत् निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:–

| विवरण | | प्रथम (रूपये) | द्वितीय (रूपये) | तृतीय (रूपये) | चतुर्थ (रूपये) | पंचम (रूपये) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| खदान की बाउण्ड्री में (1,113 नग) वृक्षारोपण हेतु | वृक्षारोपण हेतु राशि | 84,588 | 8,436 | 8,436 | 8,436 | 8,436 |
| | फेंसिंग हेतु राशि | 2,22,900 | — | — | — | — |
| | खाद हेतु राशि | 8,400 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| | सिंचाई हेतु राशि | 1,20,000 | 1,20,000 | 1,20,000 | 1,20,000 | 1,20,000 |
| | रख–रखाव हेतु राशि | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 |
| **कुल राशि = 14,32,992** | | **5,31,888** | **2,25,276** | **2,25,276** | **2,25,276** | **2,25,276** |

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 5,988 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 476 वर्गमीटर क्षेत्र 4 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख क्वारी प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। समिति का मत है कि प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

    साथ ही समिति का यह भी मत है कि उक्त उत्खनित क्षेत्र (प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी) के पुनर्भराव हेतु रिस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार–

    "The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

    उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र में 6,534 वर्गमीटर क्षेत्र को आबादी क्षेत्र होने के कारण गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में किया गया है।

18. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण**:–

    i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य मार्च 2022 से मई 2022 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8

स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल–

| Concentration level (µg/m³) of criteria pollutants | | | |
|---|---|---|---|
| Criteria Pollutants | Minimum (µg/m³) | Maximum (µg/m³) | CPCB Standard (µg/m³) |
| $PM_{2.5}$ | 26.28 | 43.56 | 60 |
| $PM_{10}$ | 47.2 | 66.5 | 100 |
| $SO_2$ | 9.08 | 14.63 | 80 |
| $NO_2$ | 11.33 | 20.24 | 80 |

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता– ई.आई.ए. के Chapter Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर–

| Noise level - dB (A) | | | |
|---|---|---|---|
| Equivalent Noise level | Minimum dB (A) | Maximum dB (A) | CPCB Standard dB (A) |
| Day $L_{eq}$ | 49.54 | 61.23 | 75 |
| Night $L_{eq}$ | 40.07 | 52.41 | 70 |

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. पी.सी.यू. की गणना– भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 1,830 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.122 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 192 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 2,022 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.14 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल/प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0.0-0.2) के भीतर है।

19. लोक सुनवाई दिनांक 11/01/2023, अपरान्ह 12:00 बजे, स्थान – आदिवासी सामुदायिक भवन, ग्राम–फुनगट्टा, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 16/03/2023 द्वारा प्रेषित किया गया है।

20. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये है:–

i. खदान से बस्ती लगा हुआ है एवं बस्ती का आंगनबाड़ी कुछ दूरी पर है।

ii. खदानों से डस्ट उत्सर्जन होता है।

iii. खदान से बस्ती लगे होने के कारण ब्लास्टिंग से अत्यधिक परेशानी होती है।

iv. स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देना चाहिए।

**लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–**

i. लीज के पास जो आंगनबाड़ी है, ग्राम पंचायत जैसे ही जमीन देगी खदान के चालू होने के पूर्व हम आंगनबाड़ी के लिए नये बिल्डिंग का निर्माण करायेंगे।

ii. डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु लीज क्षेत्र के चारों ओर प्रथम वर्ष में ही फेंसिंग कराकर वृक्षारोपण किया जाएगा। साथ ही कच्ची सड़क पर जल छिड़काव किया जाएगा।

iii. ब्लास्टिंग का कार्य अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक द्वारा निम्न स्तर पर दिन में एक बार की जाएगी। साथ ही ब्लास्टिंग के पूर्व हुटर द्वारा सूचित किया जाएगा।

iv. खदान में काम करने के लिए स्थानीय रहवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

21. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 28 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान की तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

| विवरण | | प्रथम (रूपये) | द्वितीय (रूपये) | तृतीय (रूपये) | चतुर्थ (रूपये) | पंचम (रूपये) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पहुँच मार्ग (10 कि.मी.) के दोनों तरफ (6,667 नग) वृक्षारोपण हेतु | वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि | 5,06,692 | 50,616 | 50,616 | 50,616 | 50,616 |
| | ट्री–गार्ड हेतु राशि | 61,33,600 | — | — | — | — |
| | खाद हेतु राशि | 50,010 | 5,010 | 5,010 | 5,010 | 5,010 |
| | सिंचाई हेतु राशि | 12,00,000 | 12,00,000 | 12,00,000 | 12,00,000 | 12,00,000 |
| | रख–रखाव हेतु राशि | 9,60,000 | 9,60,000 | 9,60,000 | 9,60,000 | 9,60,000 |
| **कुल राशि = 1,77,12,806** | | **88,50,302** | **22,15,626** | **22,15,626** | **22,15,626** | **22,15,626** |

22. कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता के अंतर्गत प्रस्तुत वृक्षारोपण की गणना में त्रुटि है। अतः समिति का मत है कि कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता के अंतर्गत प्रस्तुत वृक्षारोपण की गणना में त्रुटि सुधार कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

23. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 66 | 2% | 1.32 | Following activities at nearby, **Village-Chunkatta** | |
| | | | Pavitra Van Nirman | 12.19 |
| | | | **Total** | **12.19** |

24. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (नीम, आम, करंज, कदम, जामुन, आंवला, अमलतास, बड़, पीपल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 226 नग पौधों के लिए राशि 17,176 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,02,800 रूपये, खाद के लिए राशि 1,710 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,26,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,47,686 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,71,712 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत चुनकट्टा द्वारा श्री विकास अग्रवाल, कुल लीज क्षेत्रफल–3.08 हेक्टेयर एवं श्री विकास अग्रवाल, कुल लीज क्षेत्रफल–1.86 हेक्टेयर, को सी.ई.आर. के अंतर्गत संयुक्त पवित्र वन निर्माण हेतु खसरा क्रमांक 404 के क्षेत्रफल 0.31 हेक्टेयर में सहमति प्रदान की गई है।

25. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

26. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध कराकर जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

27. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये पुनःरेखांकित कर प्रस्तुत किया गया है।

28. प्रस्तुतिकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि यह एक नवीन खदान है, जो पूर्व से ही उत्खनित है। इस संबंध में समिति का मत है कि उक्त उत्खनित क्षेत्र (प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी) के पुनर्भराव हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

29. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त आश्वासन पूरे किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

31. कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के तहत तय की गई राशि का उपयोग पर्यावरण के हित में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

32. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में फेंसिंग कराकर वृक्षारोपण कार्य किया जाएगा। लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी एवं कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले वृक्षारोपण तथा सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यों की जानकारी जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

33. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

34. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर संग्रहित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भराव में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

35. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

38. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

39. भविष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन नहीं करने एवं उत्खनन क्षमता से अधिक उत्खनन कार्य नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

40. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

41. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

42. आवेदित क्षेत्र में स्थित वृक्षों की प्रजातियों की जानकारी प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही उक्त वृक्षों की आवश्यकता पड़ने पर ही कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत ही किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

43. सी.ई.आर. के अंतर्गत किये जाने वाले वृक्षारोपण का 05 वर्षों तक रख–रखाव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

44. पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) और किसी भी अन्य न्यायालय के आदेश/निर्णय के अधीन है, सामान्य कारण की शर्तें जो लागू हो सकती है, सभी शर्तों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

45. We will comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause Vs Union of India and Others before commencing the mining operations.

46. We will comply. The State Government shall ensure that mining operations shall not be commenced till the entire compensation levied if any, for illegal mining paid by the Project Proponent through their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of Judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 2d August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause Vs Union of India and Others.

47. परियोजना प्रस्तावक द्वारा "We will Comply the mitigation measures provided in MOEF&CC OM No. Z- 11013/57/2014-IA.II(M) dated 29/10/2014 titled Impact of Mining activities on Habitations- Issues related to the mining projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area." बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

48. परियोजना प्रस्तावक द्वारा "We will Comply, we inform to MOEF&CC/SEIAA for any change in ownership of the mining lease. In case there is any change in ownership or mining lease is transferred. Project Proponent need to apply for transfer of Environmental Clearance as per provisions of the para 11 of EIA Notification, 2006, as amended from time to time." बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

49. सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1148/खनि. लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 28/10/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 25 खदानें, क्षेत्रफल 41.488 हेक्टेयर है। साथ ही उक्त जारी पत्र अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य 2 खदान हेतु नवीन आशय पत्र जारी किया गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3.7 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–चुनकट्टा) का क्षेत्रफल 3.08 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–चुनकट्टा) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 48.268 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में किये गये उत्खनन हेतु जांच कर दोषी के विरूद्ध कार्यवाही हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

4. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

5. उक्त उत्खनित क्षेत्र (प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी) के पुनर्भराव हेतु रेस्टोरेशन प्लान को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

6. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स कुनकट्टा लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री विकास अग्रवाल) को ग्राम–कुनकट्टा, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग के खसरा क्रमांक 37(पार्ट), 39(पार्ट), 42(पार्ट), 43(पार्ट), 44(पार्ट), 45(पार्ट), 46(पार्ट), 47(पार्ट), 48(पार्ट), 49(पार्ट), 50(पार्ट) एवं 51(पार्ट) में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–3.08 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता–98,280 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–04** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

**12. मेसर्स बलुवाबहार सेण्ड क्वॉरी (सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत कमकीहा), ग्राम–बलुवाबहार, तहसील–फरसाबहार, जिला–जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2606)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 432784/2023, दिनांक 09/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–बलुवाबहार, तहसील–फरसाबहार, जिला–जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 1, कुल क्षेत्रफल–78.89 हेक्टेयर में से 2 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन ईब नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 480वीं बैठक दिनांक 10/08/2023:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती अनुला बड़ा, सचिव, ग्राम पंचायत अमडीहा उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अमडीहा का दिनांक 25/02/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **चिन्हांकित/सीमांकित –** कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

4. **उत्खनन योजना –** क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–रायगढ़ के पृ. ज्ञापन क्रमांक 535/ख.लि. 2/उ.यो./2023 रायगढ़, दिनांक 24/05/2023 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान –** कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 139/खनि.शा./2023 जशपुर, दिनांक 31/05/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए –** कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 139/खनि.शा./2023 जशपुर, दिनांक 31/05/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान की 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मरघट एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **एल.ओ.आई. का विवरण –** एल.ओ.आई. सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत अमडीहा के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 38/गौण खनिज/2023 जशपुर, दिनांक 24/04/2023 द्वारा जारी की गई, जो जारी दिनांक से 01 वर्ष की अवधि हेतु वैध है।

   छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 हेतु संशोधन अधिसूचना दिनांक 09/06/2023 को जारी की गई है। उक्त अधिसूचना के नियम 4 अनुसार "उत्खनन पट्टे की कालावधि–साधारण रेत के उत्खनन हेतु उत्खनन पट्टा पांच वर्ष की कालावधि के लिए प्रदान किया जाएगा। पांच वर्ष की अवधि की गणना उत्खनन पट्टा विलेख के पंजीयन दिनांक से किया जाएगा।" का उल्लेख है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमण्डल, जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2021/4530, जशपुर दिनांक 15/11/2021 से जारी प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बलुवाबहार 1 कि.मी., स्कूल एवं अस्पताल ग्राम–तपकरा 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 कि.मी. राज्यमार्ग 1.7 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 237 मीटर, न्यूनतम 216 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 270 मीटर, न्यूनतम 260 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 84 मीटर, न्यूनतम 68 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 114.1 मीटर, न्यूनतम 28.5 मीटर है।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा–40,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 2 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3.05 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 19/08/2023 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 20 | 2% | 0.40 | Following activities at Govt. Primary School, **Village - Baluwabahar** | |
| | | | Plantation | 5.38 |
| | | | **Total** | **5.38** |

15. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में वृक्षारोपण के तहत (नीम, आम, महुआ आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 70 नग पौधों के लिए राशि 2,450 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 35,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 69,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष

में कुल राशि 1,37,450 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 4,00,980 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

16. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

17. **वृक्षारोपण कार्य** – नदी तट एवं पहुंच मार्ग में 800 नग वृक्षारोपण करने हेतु प्रस्ताव दिया गया है, जो निम्नानुसार है–

<table>
<tr><th colspan="2">विवरण</th><th>प्रथम वर्ष (रूपये)</th><th>द्वितीय वर्ष (रूपये)</th><th>तृतीय वर्ष (रूपये)</th><th>चतुर्थ वर्ष (रूपये)</th><th>पंचम वर्ष (रूपये)</th></tr>
<tr><td rowspan="4">नदी तट एवं पहुंच मार्ग में (800 नग) वृक्षारोपण हेतु</td><td>वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि</td><td>28,000</td><td>2,800</td><td>2,800</td><td>2,800</td><td>2,800</td></tr>
<tr><td>फेंसिंग हेतु राशि</td><td>1,45,000</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td></tr>
<tr><td>खाद हेतु राशि</td><td>4,000</td><td>4,000</td><td>4,000</td><td>4,000</td><td>4,000</td></tr>
<tr><td>सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि</td><td>1,84,500</td><td>1,84,500</td><td>1,84,500</td><td>1,84,500</td><td>1,84,500</td></tr>
<tr><td colspan="2">कुल राशि = 11,26,700</td><td>3,61,500</td><td>1,91,300</td><td>1,91,300</td><td>1,91,300</td><td>1,91,300</td></tr>
</table>

18. पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत जो भी राशि तय की जाएगी उसका उपयोग पर्यावरण के हित में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) के तहत् निर्धारित राशि का उपयोग दिये गये कार्यों में ही किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

24. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं

नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

25. लीज क्षेत्र के चारों कोनों तथा सीमा लाईन के मध्य में सीमेंट के खम्भे लगाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।

26. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावें। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। ईब नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भराव होने की संभावना है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–**

1. आवेदित खदान (ग्राम–कलुवाबहार) का रकबा 2 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

3. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित चिंह बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जावें।

   ii. पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं चिंह बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित चिंह बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं चिंह बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित चिंह बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स कलुवाबहार सैण्ड क्वारी (सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत अमकीहा), खसरा क्रमांक 1, ग्राम–कलुवाबहार,

तहसील–फरसाबहार, जिला–जशपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 12,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु **परिशिष्ट–06** में वर्णित शर्तों के अधीन दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

5. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
6. इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत् 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

**एजेण्डा आयटम क्रमांक–3:** **परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त प्रकरणों में अवलोकन पश्चात् विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।**

**1. मेसर्स शिवाय इन्फ्रा (पार्टनर– श्री राकेश कुकरेजा), ग्राम–लाभाण्डी, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2344)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ इन्फ्रा2/423087/ 2023, दिनांक 23/03/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–लाभाण्डी, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 19002 (109/3, 109/7, 109/1, 109/10, 109/16, 109/27, 109/29, 109/30, 109/46, 109/53), कुल क्षेत्रफल–1.27 हेक्टेयर, कुल बिल्टअप एरिया 28,599.6 वर्गमीटर के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित परियोजना की कुल लागत 52 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की 461वीं बैठक दिनांक 28/04/2023:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राकेश कुकरेजा, पार्टनर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री हुसैन जलालउद्दीन उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –

   i. निकटतम आबादी भावना नगर 340 मीटर, रायपुर रेलवे स्टेशन 5.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 9.48 कि.मी., अस्पताल 4.18 कि.मी. एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 1.38 कि.मी. दूर है। तेलीबांधा तालाब 2.31 कि.मी. एवं खारून नदी 9.53 कि.मी. दूर है।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पौल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 9769/नग्रानि/धारा–29/CGAWAAS/2021/00046/2021 रायपुर, दिनांक 22/07/2021 अनुसार विकास अनुज्ञा जारी की गई है।

3. कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर के ज्ञापन दिनांक 16/12/2021 द्वारा भवन निर्माण अनुज्ञा की प्रति प्रस्तुत की गई है।

4. छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के ज्ञापन दिनांक 01/01/2022 द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र जारी की गई है, जिसकी वैधता 04/10/2026 तक है।

5. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 15,002 मेसर्स शिवाय इन्फ्रा (पार्टनर–श्री राकेश कुकरेजा), श्रीमती राखी कुकरेजा, श्रीमती ऊषा शर्मा एवं मेसर्स पी3 बिल्डकॉन प्रा.लि. (डॉयरेक्टर– श्री विकास पारख) के नाम पर है।

6. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** –

| S. No. | Particulars | Area ($m^2$) | Area (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | Proposed Ground Coverage | 2,513 | 19.78 |
| 2. | Green Area | 4,191 | 33.00 |
| 3. | Road / Paved Area | 1,450 | 11.42 |
| 4. | Open Area | 4,546 | 35.80 |
| Total Area | | 12,700 | 100 |

7. **बिल्टअप एरिया स्टेटमेंट** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कुल बिल्टअप एरिया 26,589.8 वर्गमीटर है। समिति का मत है कि तल अनुसार (Floor wise) बिल्टअप एरिया की जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. प्रस्तावित कार्यकलापों की सुविधाओं के उपयोग हेतु अनुमानित कुल 555 व्यक्तियों द्वारा किया जाना बताया गया है।

9. **वायु प्रदूषण नियंत्रण** – निर्माण के दौरान उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट के नियंत्रण हेतु ग्रीन नेट से ढक कर निर्माण कार्य किया जाएगा एवं नियमित जल छिड़काव किया जाएगा।

10. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन** – निर्माण के दौरान उत्खनित मिट्टी को ढके हुए क्षेत्र में रखा जाएगा एवं उस मिट्टी का उपयोग लेण्ड स्केपिंग, लेवलिंग एवं बैक फिलिंग में उपयोग किया जाएगा। रिसाईकलेबल अपशिष्टों (ब्रोकन ब्रिक्स, ब्रोकन टाईल्स, लकड़ी के टुकड़े, सीमेंट बैग्स आदि) को अधिकृत वेण्डर्स को विक्रय किया जाएगा तथा शेष रिजेक्ट मटेरियल को आर.एम.सी. द्वारा बताये गये स्थल

पर अपवहन किया जाएगा। कार्य स्थल पर श्रमिकों द्वारा उत्पन्न अपशिष्टों को दैनिक आधार पर स्थानीय एजेंसियों द्वारा अपवहन किया जाएगा।

परियोजना के विकासोपरांत ठोस अपशिष्ट के संग्रहण हेतु थ्री बिन पद्धति अपनायी जाएगी। परियोजना से उत्पन्न कुल ठोस अपशिष्ट की मात्रा 425.9 किलोग्राम प्रतिदिन (रेसीडेंट्स द्वारा 237 किलोग्राम प्रतिदिन तथा कमर्शियल, स्टाफ एवं विजिटर्स द्वारा 188.9 किलोग्राम प्रतिदिन) होगी। उत्पन्न ठोस अपशिष्टों को वेट एवं रिसाईक्लेबल के अनुसार संग्रहित किया जाएगा। रिसाईक्लेबल अपशिष्टों को अधिकृत वेण्डर्स को विक्रय किया जाएगा।

11. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना में ऑपरेशन फेज हेतु 140.98 घनमीटर प्रतिदिन (फ्रेश वॉटर हेतु 106.23 घनमीटर प्रतिदिन एवं फ्लशिंग हेतु 34.75 घनमीटर प्रतिदिन) जल का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। जल की आपूर्ति नगर निगम द्वारा की जाएगी। परियोजना में कन्सट्रक्शन फेज हेतु जल की आपूर्ति भू-जल के माध्यम से किया जाना बताया गया है। समिति का मत है कि जल की आपूर्ति नगर निगम से किये जाने बाबत् सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण** – उत्पन्न दूषित जल की मात्रा 118.73 घनमीटर प्रतिदिन होगा। दूषित जल के उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 125 घनमीटर प्रतिदिन स्थापित किया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत बार स्क्रीन, ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रेप, इक्विलाइजेशन टैंक, एमबीबी रिएक्टर, सेण्ड फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, स्लज होल्डिंग टैंक एवं प्रेशर सेण्ड फिल्टर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपचारित दूषित जल को डिसइन्फेक्शन कर वृक्षारोपण हेतु उपयोग किया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से उत्पन्न स्लज का उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाएगा।

- **भू-जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार-

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 80 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वाटर हार्वेस्टिंग** – परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 4,985.71 घनमीटर प्रतिवर्ष है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 5 नग रिचार्ज पिट (व्यास 1.9 मीटर एवं गहराई 4 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

12. **विद्युत खपत** – परियोजना हेतु 1800 किलोवॉट की आवश्यकता होगी। विद्युत आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाएगा।

वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 4 नग (3x500 एवं 1x125) के.वी.ए. के डी.जी. सेट स्थापित किये जाएगें। समिति का मत है कि डी.जी. सेट से संलग्न चिमनी की ऊंचाई की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **वृक्षारोपण संबंधी विवरण** – हरित पट्टिका के विकास हेतु 4,181 वर्गमीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना बताया गया है। परिसर के चारों ओर 1,040 नग (मध्यम ऊंचाई वाले) एवं आंतरिक मार्गों के किनारे 1,040 नग (कम ऊंचाई वाले) वृक्षारोपण किया जाएगा। इस प्रकार परिसर के भीतर कुल 2,080 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि परिसर के भीतर वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण (80 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **ऊर्जा संरक्षण उपाय** – आंतरिक स्थानों पर एल.ई.डी. लाईट प्रयुक्त किया जाना प्रस्तावित है। लैण्ड स्केपिंग एवं ड्राईव–वे में सोलर एल.ई.डी. लाईटिंग सिस्टम लगाया जाना प्रस्तावित है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् कुल लागत का 1.5 प्रतिशत व्यय किया जाना बताया गया। जबकि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार 100 करोड़ तक के ग्रीन फिल्ड प्रोजेक्ट हेतु 2 प्रतिशत राशि सी.ई.आर. (**Corporate Environment Responsibility**) हेतु व्यय किया जाना है। समिति का मत है कि कुल प्रस्तावित लागत के 2 प्रतिशत राशि अनुसार परियोजना के आस–पास सहमति प्राप्त शासकीय भूमि (खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल सहित) में ईको पार्क निर्माण के तहत् विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण तथा वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार, समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। आवश्यकतानुसार नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र /सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. श्री किशन सिंह धुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन तथा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर को सम्मिलित करते हुये तीन सदस्यीय उपसमिति का गठन किया जाता है। तीन सदस्यीय उपसमिति स्थल का निरीक्षण करेगी तथा अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुये कलरयुक्त फोटोग्राफ्स दिनांक सहित बिन्दुवार निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।
2. तल अनुसार (Floor wise) बिल्टअप एरिया की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. जल की आपूर्ति नगर निगम से किये जाने बाबत् सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. डी.जी. सेट से संलग्न चिमनी की ऊंचाई की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
5. परिसर के भीतर वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण (न्यूनतम 80 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

6. कुल प्रस्तावित लागत के 2 प्रतिशत राशि अनुसार परियोजना के आस–पास सहमति प्राप्त शासकीय भूमि (खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल सहित) में ईको पार्क निर्माण के तहत् विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण तथा वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार, समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। साथ ही आवश्यकतानुसार नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र /सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।

7. परिसर क्षेत्र के अंदर वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का कम से कम सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

8. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त निरीक्षण प्रतिवेदन/वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/06/2023 के परिपेक्ष्य में श्री किशन सिंह धुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन तथा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा दिनांक 19/07/2023 को निरीक्षण प्रतिवेदन एवं जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

**(ब) समिति की 480वीं बैठक दिनांक 10/08/2023:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. उपसमिति द्वारा प्रेषित निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

   पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु परियोजना स्थल की अद्यतन स्थिति के संबंध में निरीक्षण करने बाबत् श्री किशन सिंह धुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर को सम्मिलित करते हुये तीन सदस्यीय उपसमिति का गठन किया गया है।

   उपरोक्तानुसार गठित तीन सदस्यीय उपसमिति के द्वारा उपरोक्त प्रकरण के संदर्भ में परियोजना स्थल का निरीक्षण दिनांक 30/06/2023 को किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर परियोजना के प्रतिनिधि श्री राजेश कुकरेजा, पार्टनर उपस्थित थे। मौके पर निरीक्षण के दौरान पाई गई वस्तुस्थिति की जानकारी निम्नानुसार है:–

1. **परियोजना के संबंध में भूमि संबंधी विवरण :–**

- मेसर्स शिवाय इन्फ्रा (पार्टनर– श्री राजेश कुकरेजा), ग्राम–लाभाण्डी, तहसील व जिला – रायपुर (छ.ग.) का खसरा क्रमांक – 15002 (108/3, 108/7, 109/1, 109/10, 109/16, 109/27, 109/29, 109/30, 109/46, 109/53), कुल रकबा 1.27 हेक्टेयर के संबंध में अपर संचालक कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा 4 ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर (छ.ग.) द्वारा विकास अनुज्ञा पत्र क्रमांक 9769/ नग्राणि/ पाठ–29/ CGAWAAS/2021/00046/2021 दिनांक 22/07/2021 को प्रदान किया गया है। उक्त बाबत् मौके पर उपस्थित परियोजना के प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 30/06/2023 को दी गई जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

- उपरोक्त परियोजना हेतु कार्यालय, नगर पालिक निगम रायपुर (छ.ग.), जोन क्रमांक–9 द्वारा प्रकरण पंजीयन क्रमांक [29098], (VSNA-RMC-2021-0008) दिनांक – [24.11.2021], अनुज्ञा क्रमांक – 102247, दिनांक 16/12/2021 के माध्यम से उपरोक्त परियोजना के संबंध में भवन निर्माण अनुज्ञा जारी की गई है। उक्त बाबत् मौके पर उपस्थित परियोजना के प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 30/06/2023 को दी गई जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

- कॉलोनी के विकास की अनंतिम (PROVISIONAL) अनुमति जिसमें संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा स्वीकृत अभिन्यास के अनुसार कुल भूमि रकबा 12,700 वर्गमीटर में से मार्ग अंतर्गत एरिया – 730.19 वर्गमीटर छोड़कर नेट प्लॉटिंग एरिया 11,969.81 वर्गमीटर पर टोटल बिल्टअप एरिया 26,599.6 वर्गमीटर (टोटल रेसिडेंशियल फ्लैट बिल्टअप एरिया 24,265.60 वर्गमीटर, कामर्शियल क्लब एरिया 1,426 वर्गमीटर एवं कामर्शियल शॉप्स एरिया 908 वर्गमीटर सहित) अनुमोदित होने का उल्लेख किया गया है। उक्त बाबत् मौके पर उपस्थित परियोजना के प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 30/06/2023 को दी गई जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

- निरीक्षण के समय पाई गई स्थिति के अनुसार परियोजना स्थल में बाउण्ड्री वाल निर्मित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना स्थल पर निर्माण कार्य नहीं किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उनके पत्र दिनांक 07/07/2023 के माध्यम से उपरोक्त परियोजना के संबंध में ग्राम लाभाण्डी प.ह.नं. – 95 दिनांक 06/07/2023 के खसरा नक्शा की प्रति प्रेषित की गई है, जिसमें प्रस्तावित खुली भूमि खसरा क्रमांक 15002 (108/3, 108/7, 109/1, 109/10, 109/16, 109/27, 109/29, 109/30 109/46, 109/53), कुल रकबा 1.27 हेक्टेयर का उल्लेख है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा अभिस्वीकृति प्रस्तुत की गई है, जिसमें उपरोक्त खसरों का उल्लेख करते हुये ग्राम लाभाण्डी, रायपुर छ.ग. कुल रकबा 12,700 वर्गमीटर पर कुल निर्माण क्षेत्रफल 26,644 वर्गमीटर प्रस्तावित होने का उल्लेख किया गया है।

- मौके पर लिये गये फोटोग्राफ्स की प्रति प्रस्तुत किये गये है।

2. **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था–** परियोजना से जनित होने वाले घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु परियोजना द्वारा 120 के.एल.डी. क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है। उपचारित घरेलू दूषित जल का उपयोग वृक्षारोपण की सिंचाई आदि में किया जाना प्रस्तावित है। उक्त बाबत्

मौके पर उपस्थित परियोजना के प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 30/06/2023 को दी गई जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

3. वृक्षारोपण के संबंध में जानकारी– परियोजना द्वारा नियमानुसार वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

4. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था– परियोजना द्वारा जनित होने वाले ठोस अपशिष्टों को पृथक–पृथक बिन्स में एकत्र कर नगर पालिका निगम को प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है।

5. सी.ई.आर. के संबंध में जानकारी– परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के संबंध में कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

2. तल अनुसार (Floor wise) बिल्टअप एरिया निम्नानुसार है–

| Details of Towers | Area ($m^2$) |
|---|---|
| Tower-1 | 4,320 |
| Tower-2 | 4,320 |
| Tower-3 | 4,320 |
| Tower-4 | 4,320 |
| Tower-5 | 4,320 |
| Tower-6 | 4,091 (1,426 Comm. + 2,665 resi.) |
| Shops Comm. | 908 |
| **Total Area** | **26,599** |

3. जल की आपूर्ति नगर निगम से किये जाने बाबत् अनुमति कन्स्ट्रक्शन के उपरांत ही ली जाएगी। वर्तमान में टैंकर तथा भू–जल के माध्यम से ही कन्स्ट्रक्शन का कार्य किया जाएगा। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

4. डी.जी. सेट से संलग्न चिमनी की ऊंचाई बिल्डिंग की ऊंचाई 36 मीटर से 3 मीटर अधिक (इस प्रकार कुल चिमनी की ऊंचाई 39 मीटर) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की गई है।

5. परिसर के भीतर वृक्षारोपण हेतु 3,640 नग पौधों के लिए राशि 2,76,640 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 97,000 रूपये, खाद के लिए राशि 30,000 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रूपये एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,96,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 7,19,640 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 9,86,656 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल प्रस्तावित लागत के 2 प्रतिशत राशि अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 5200 | 2% | 104 | Following activities at Village- Amethi | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Pavitra Van Nirman | 111.455 |
| | | | Total | **111.455** |

7. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (आंवला, करंज, नीम, आम, जामुन, कदम आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 13,500 नग पौधों के लिए राशि 10,26,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,19,300 रूपये, खाद के लिए राशि 1,01,250 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 8,40,000 रूपये तथा रख–रखाव के लिए राशि 12,76,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 34,62,550 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 76,82,960 रूपये हेतु मदवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत अमेठी की सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 443, क्षेत्रफल 5.4 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

8. परिसर क्षेत्र के अंदर वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का कम से कम सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

9. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि** मेसर्स शिवाय इन्फ्रा (पार्टनर– श्री राजेश कुकरेजा), ग्राम–जामगांव, तहसील व जिला–रायपुर में खसरा क्रमांक 15002 (108/3, 108/7, 109/1, 109/10, 109/16, 109/27, 109/29, 109/30, 109/46, 109/53), कुल क्षेत्रफल–1.27 हेक्टेयर, कुल बिल्टअप एरिया 28,599.6 वर्गमीटर हेतु **परिशिष्ट–06** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

**2. मेसर्स मुईगांव सेल्फ माईन (प्रो.– सरपंच, ग्राम पंचायत बासनवाही (श्री एमेश कुमार नेताम)), ग्राम–मुईगांव, तहसील–चारामा, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2366)**

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 422942/2023, दिनांक 29/03/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मुईगांव, ग्राम पंचायत बासनवाही, तहसील–चारामा, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 847, कुल क्षेत्रफल–25.66 हेक्टेयर में से 5 हेक्टेयर में

प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित रेत उत्खनन क्षमता–1,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की 463वीं बैठक दिनांक 10/06/2023:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री एमेश कुमार नेताम, सरपंच, ग्राम पंचायत बासनवाही उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बासनवाही का दिनांक 12/08/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **चिन्हांकित/सीमांकित –** खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित कर कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु खनि अधिकारी, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर को कार्यालय, ग्राम पंचायत बासनवाही द्वारा दिनांक 10/09/2022 को आवेदन किया गया है।
4. **उत्खनन योजना –** क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप–संचालक (ख.प्र.), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 477/खनिज/उत्ख.यो. अनु./रेत/2022–23 उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 07/03/2023 द्वारा अनुमोदित है।
5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 582/खनिज/खा.लि./रेत/2023 कांकेर, दिनांक 24/03/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 581/खनिज/खा.लि./रेत/2023 कांकेर, दिनांक 24/03/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मरघट एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। गोठान 180 मीटर की दूरी पर स्थित है।
7. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण –** एल.ओ.आई. सरपंच, ग्राम पंचायत बासनवाही के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–उत्तर बस्तर–कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 385/खनिज/रेत/2023 कांकेर, दिनांक 24/02/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है। जारी एल.ओ.आई. में "उत्खनन पट्टे विलेख के पंजीयन के दिनांक से 05 वर्ष की अवधि के लिए विधि मान्य होगा।" का उल्लेख है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, कांकेर वन मण्डल जिला–कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2022/9811 कांकेर, दिनांक 07/10/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 3 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–चुईगांव 800 मीटर, स्कूल ग्राम–बाकनवाही 2.3 कि.मी. एवं अस्पताल हाराडुला 2.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 354 मीटर, न्यूनतम 284 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 382 मीटर, न्यूनतम 306 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 142 मीटर, न्यूनतम 137 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 116 मीटर, न्यूनतम 35 मीटर है।

समिति द्वारा पाया गया कि जिस खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई 354 मीटर है, उस खनन स्थल पर नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 38 मीटर है तथा खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई 284 मीटर है, उस खनन स्थल पर नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 35 मीटर है। अतः नॉन माईनिंग क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है।

13. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई–3 से 4 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई–2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा–1,00,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 8 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 27/03/2023 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 48.5 | 2% | 0.97 | Following activities at Nearby Village- Bhulgaon | |
| | | | Plantation at government land near by lease area | 5.43 |
| | | | **Total** | **5.43** |

16. सी.ई.आर. के अंतर्गत लीज क्षेत्र के समीप शासकीय भूमि में (बड़, पीपल, नीम, करंज, आम, इमली, अर्जुन आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 600 नग पौधों के लिए राशि 30,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 90,000 रूपये, खाद के लिए राशि 6,000 रूपये, रख–रखाव आदि के लिए राशि 67,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,13,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्षों में रख–रखाव हेतु कुल राशि 3,30,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा एवं क्षेत्रफल सहित) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. **वृक्षारोपण कार्य** – नदी तट पर (बड़, पीपल, नीम, करंज, आम, इमली, अर्जुन आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 400 नग पौधों के लिए राशि 30,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 60,000 रूपये, खाद के लिए राशि 4,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 68,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 1,62,000 रूपये प्रथम वर्ष में एवं कुल राशि 3,00,000 रूपये आगामी 4 वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित कर कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. सी.ई.आर. के अंतर्गत लीज क्षेत्र के समीप शासकीय भूमि में वृक्षारोपण हेतु ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा एवं क्षेत्रफल सहित) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज क्षेत्र से बाहर उत्खनन कार्य नहीं किये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/07/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 21/07/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

**(ब) समिति की 480वीं बैठक दिनांक 10/08/2023:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के ज्ञापन दिनांक 14/07/2023 द्वारा आवेदित रेत खदान को चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित किया गया है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के अंतर्गत पंचायत से प्राप्त सहमति अनुसार संशोधित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जो कि निम्नानुसार है:-

| Capital Investment (In Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 48.5 | 2% | 0.97 | Following activities at Nearby Village- Bhuigaon | |
| | | | Plantation at government land near by lease area | 11.50 |
| | | | **Total** | **11.50** |

सी.ई.आर. के अंतर्गत लीज क्षेत्र के समीप शासकीय भूमि में (बड़, पीपल, नीम, करंज, आम, इमली, अर्जुन आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 2,100 नग पौधों के लिए राशि 1,05,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 3,15,000 रूपये, खाद के लिए राशि 21,000 रूपये, रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,54,500 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 5,95,500 रूपये तथा आगामी 4 वर्षों में रख-रखाव हेतु कुल राशि 5,56,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बाबनवाही के सहमति उपरांत वृक्षारोपण स्थान (खसरा क्रमांक 602, क्षेत्रफल 6.78 हेक्टेयर में से 1.89 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. लीज क्षेत्र के बाहर उत्खनन कार्य नहीं किये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

4. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्व इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्व भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

7. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

8. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावें। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भराव होने की संभावना है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. आवेदित खदान (ग्राम–कुईगांव) का रकबा 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

3. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जावें।

   ii. पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट

(दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित चिन्ह बिन्दुओं पर किया जायेगा।

iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं चिन्ह बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित चिन्ह बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स चूड़ेगांव सेण्ड माईन (प्रो.– सरपंच, ग्राम पंचायत बासनवाही (श्री एमेश कुमार नेताम)), पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 847, ग्राम–चुड़ेगांव, ग्राम पंचायत बासनवाही, तहसील–चारामा, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर में उत्खनन हेतु वैध क्षेत्र का कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 45,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु **परिशिष्ट–07** में वर्णित शर्तों के अधीन दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

5. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।

6. ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

**3. मेसर्स वासवानी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम–सोण्ड्रा, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1694)**

**ऑनलाईन आवेदन** – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/आईएनडी/60799/2021, दिनांक 14/02/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/60799/ 2021, दिनांक 01/09/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत ग्राम–सोण्ड्रा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा

क्रमांक 404, 405/1, 405/2, 406/1, 406/2, 406/3, 406/4, 407/1, 407/2, 409/1, 409/2, 409/3, 410/1, 410/2, 411/1, 411/2, 412, 413, 414, 415, 416/1, 416/4, 416/5, 416/6, 416/7, 417/1, 417/2, 417/3, 417/4, 417/5, 417/6, 418/1, 418/2, 418/3, 418/4, 419, 454/1, 454/2, 456, 459, 463/1, 463/2, 463/3, 463/4, 463/5, 463/6, 463/7, 463/8 एवं 464/1, क्षेत्रफल – 11.84 हेक्टेयर से 18.6 हेक्टेयर (45.9 एकड़) में इन्डक्शन फर्नेस विथ एल.आर.एफ. से (एम.एस. बिलेट, इंगाट्स/हॉट बिलेट्स) – 36,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1,50,000 टन प्रतिवर्ष, न्यू रोलिंग मिल (री–रोल्ड प्रोडक्ट/पत्रा/स्ट्रक्चरल्स स्टील/वायर रॉड) – 1,50,000 टन प्रतिवर्ष के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत विनियोग का कुल लागत 27 करोड़ होगा।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 646, दिनांक 28/06/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन फेरस) हेतु टी.ओ.आर. जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 05/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की 436वीं बैठक दिनांक 06/12/2022:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 06/12/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को** पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 450वीं बैठक दिनांक 09/02/2023:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कौशल वासवानी, सीओओ एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पायोनियर इन्वायरो लेबोरेट्रीज एण्ड कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री वाय. रेड्डी उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. जल एवं वायु सम्मति –

- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर से स्पंज आयरन क्षमता–90,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, डब्ल्यू.एच.आर.बी. आधारित कैप्टिव पॉवर प्लांट–8 मेगावॉट, एफ.बी.सी. आधारित कैप्टिव पॉवर प्लांट–2.5 मेगावॉट एवं एम.एस. इंगाट्स/बिलेट्स क्षमता–36,000 मीट्रिक टन

प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 08/04/2021 को जारी की गई है, जो कि दिनांक 31/03/2024 तक वैध है।

- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर के ज्ञापन दिनांक 06/01/2022 द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार शर्त क्रमांक 5 का अपूर्ण पालन होना बताया गया है एवं शेष सभी शर्तों का पूर्ण पालन किया जाना बताया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि अपूर्ण शर्त का पूर्ण पालन करने के संबंध में कार्ययोजना एवं जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. भूमि स्वामित्व/भूमि आवंटन संबंधी दस्तावेज खसरावार सहित प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - समीपस्थ आबादी ग्राम–सोण्ड्रा 100 मीटर एवं शहर रायपुर 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम अस्पताल 2.8 कि.मी., स्कूल 2.3 कि.मी. दूर है। निकटतम रेल्वे स्टेशन मांढर 7.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानतल, माना, रायपुर 22 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 2 कि.मी. दूर है। खारून नदी 2.5 कि.मी., कोल्हान नाला 1.2 कि.मी. दूर है।
   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. **लैण्ड एरिया स्टेटमेंट** – वर्तमान में इकाई 11.84 हेक्टेयर में स्थापित है। क्षमता विस्तार हेतु 6.76 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि अधिग्रहित की गई है। कुल क्षेत्रफल 18.6 हेक्टेयर (45.9 एकड़) है, जिसमें से डीआरआई किल्न (डब्लू.एच.आर.बी.) का क्षेत्रफल 3 एकड़, इण्डक्शन फर्नेस का क्षेत्रफल 2 एकड़, रोलिंग मिल का क्षेत्रफल 2 एकड़, एफ.बी.सी. आधारित पॉवर प्लांट का क्षेत्रफल 1.5 एकड़, स्टोरेज एरिया 5 एकड़, आंतरिक मार्ग का क्षेत्रफल 3 एकड़, पार्किंग का क्षेत्रफल 1 एकड़, वाटर रिजर्वायर एण्ड रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का क्षेत्रफल 2.5 एकड़, एडमिन बिल्डिंग का क्षेत्रफल 0.05 एकड़, ओपन एरिया 7.45 एकड़ तथा हरित पट्टिका हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल 18.4 एकड़ है।

5. रॉ–मटेरियल –

| S. No. | Raw Material | Quantity (TPA) | Sources | Mode Of Transport |
|---|---|---|---|---|
| 1 | For Steel Melting Shop (MS Billets/ Ingots) – 1,50,000 TPA | | | |
| A | Sponge Iron | 1,52,000 | Own generation & Open market | By road (through covered trucks) |
| B | MS Scrap / Pig Iron | 23,000 | Chhattisgarh | By road (through covered trucks) |
| C | Ferro alloys | 3,000 | Open market | By road (through covered trucks) |
| 2 | For Rolling Mill through Hot charging (Rolled Products) – 1,50,000TPA | | | |
| A | Hot billets / MS | 1,55,000 | Own generation & | By road |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Billets / ingots | | Open market | (through covered trucks) |
| 3 | Gasifier for Rolling mill (2,000 $Nm^3/hr$) | | | |
| A | Coal (Indian) | 5,940 | SECL Chhattisgarh / MCL Odisha | By rail & road (through covered trucks) |
| B | Coal (Imported) | 3,800 | Indonesia / south Africa / Australia | Through sea route, rail route & by road |

6. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –

| S. No. | Unit (product) | | Existing Operating Plant | Proposed Expansion project | After Expansion project |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DRI Kilns (sponge iron) | | 90,000 TPA (3 x100 TPD) | - | 90,000 TPA (3 x100 TPD) |
| 2. | Induction Furnace (MS Billet / Ingot) | | 36,000 TPA (2 x8 T) | 1,14,000 TPA (Replacement of 2x8 T with 2x10 T IF & installation of new 2x15MT IF with matching LRF) | 1,50,000 TPA (2x10 T & 2x15 T) |
| 3. | Rolling mill (Re-rolled product/ patra/structural steel/wire rod) | | - | 1,50,000 TPA (1 x 500 TPD) [1,27,500 TPA through hot charging & 22,500 TPA through Reheating furnace] | 1,50,000 TPA (1 x 500 TPD) [1,27,500 TPA through hot charging & 22,500 TPA through Reheating furnace] |
| 4. | Power Plant | WHRB | 9 MW | - | 9 MW |
| | | FBC | 2.5 MW | - | 2.5 MW |

7. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था – वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु फ्यूम एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर एवं 2 नग 36 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है। क्षमता विस्तार के तहत् इण्डक्शन फर्नेस में फ्यूम एक्सट्रेक्शन सिस्टम (उन्नयन कर) के साथ बेग फिल्टर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है। रि-हिटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्क्रबर स्थापित है। प्रस्तावित कार्यकलाप के लिए प्रस्तावित नई व्यवस्था से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से घटाकर 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर होना प्रस्तावित है। रोलिंग मिल में 30 मीटर ऊंची चिमनी प्रस्तावित है। फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव व कव्हर्ड कन्वेयर सिस्टम उपयोग किया जाएगा।

8. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था –

| S. No. | Waste | Capacity (TPA) | | Method of disposal |
|---|---|---|---|---|
| | | Existing | Proposed | |
| 1 | Ash from DRI | 16,200 | - | Is being used in two brick manufacturing units operating in plant premises. |
| 2 | Dolochar | 27,000 | - | Is being used as fuel for FBC based power plant. |
| 3 | Kiln Accretion slag | 810 | - | Is being utilised in road construction & used in two brick manufacturing units operating in plant premises. |
| 4 | Wet scraper sludge | 4,140 | - | Is being utilized in road construction & used in two brick manufacturing units operating in plant premises. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | SMS Slag | 3,600 | 11,400 | Slag from SMS is being crushed and iron is being recovered & remaining non-magnetic material being inert by nature is used as sub base material in road construction/ used in two brick manufacturing units operating in plant premises. The same will be continued even after expansion also. |
| 6 | Mill scales from rolling mill | - | 3,000 | Will be given to near by ferro alloy units. |
| 7 | End cutting from rolling mill | - | 4,500 | Will be recycled back as raw material in induction furnace. |
| 8 | Ash from power plant (with 100% Indian coal) | 7,516 | - | Is being used in two brick manufacturing units operating in plant premises. |
| | OR | | | |
| | Ash from power plant (with 100% Imported coal) | 1,200 | - | Is being used in two brick manufacturing units operating in plant premises. |
| | OR | | | |
| | Ash from power plant (with Dolochar + Indian coal) | 17,843 | - | Is being used in two brick manufacturing units operating in plant premises. |
| | OR | | | |
| | Ash from power plant (with Dolochar + Imported coal) | 16,446 | - | Is being used in two brick manufacturing units operating in plant premises. |
| 9 | **Municipal Solid Waste** | | | |
| a | Construction debris (generated during construction phase) | | | Used for land fill within the plant site and Recyclables will be given to authorized recyclers. |
| b | Canteen waste | | | Used in composting/ vermiculture, used as manure for greenbelt development. |
| c | Recyclables | | | Given to SPCB authorized dealers. |

9. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 960 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 20 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक उपयोग हेतु 940 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाता है। क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना हेतु कुल 1,200 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 30 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक उपयोग हेतु 1,170 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ इस्पात भूमि लिमिटेड से 12 लाख लीटर (1,200 घनमीटर) प्रतिदिन के लिये अनुमति लिया गया है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में उत्पन्न दूषित जल की मात्रा 166 घनमीटर प्रतिदिन एवं प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् उत्पन्न दूषित जल की कुल मात्रा 175 घनमीटर प्रतिदिन होगी। उत्पन्न दूषित जल का पुनःचक्रण कर उपयोग में लाया जाता है। साथ ही उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की गई है। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् उपरोक्त व्यवस्था अपनाई जाएगी। वर्तमान में घरेलू

दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। गैसीफायर से जनित फिनॉलिक दूषित जल को स्वयं के पूर्व से स्थापित स्पंज आयरन किल्न में अपवहन किया जाना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। समिति का मत है कि उत्पन्न औद्योगिक दूषित जल अनुसार इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट एवं घरेलू दूषित जल अनुसार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था हेतु जानकारी (क्षमता, ड्राईंग सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- **भू-जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।
  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रैनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। उद्योग को रैनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल रनऑफ 3,664 घनमीटर प्रति घण्टा है। वर्तमान में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 6 नग रिचार्ज पिट (त्रिज्या 2 मीटर, गहराई 6 मीटर) निर्मित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत कुल 12 नग रिचार्ज पिट (व्यास 4 मीटर, गहराई 6 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

10. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 10 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता है। क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना हेतु कुल 17 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी जिसमें से 5.5 मेगावॉट विद्युत की आपूर्ति सीएसपीडीसीएल एवं 11.5 मेगावॉट विद्युत की आपूर्ति केप्टीव पॉवर प्लांट से किया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट की संख्या सहित एवं चिमनी संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

11. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – वर्तमान में 1.72 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 18.4 एकड़ (7.45 हेक्टेयर) 40.08 प्रतिशत क्षेत्र में पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। परिसर के चारों तरफ 20 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में एवं समीपस्थ गांव की तरफ 40 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य किया जाएगा। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रति हेक्टेयर 2,500 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि प्रस्तावित उद्योग परिसर के चारों ओर एवं उद्योग क्षेत्र के रिक्त स्थान में भी वृक्षारोपण हेतु 5 से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव ले-आउट प्लान में दर्शाते हुए प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। समिति का मत है कि 50 प्रतिशत क्षेत्रफल में पौधे रोपित किया जाना आवश्यक है।

12. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण–

i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी – मॉनिटरिंग कार्य 01 मार्च, 2021 से 20 जून, 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल–

| Concentration level (µg/m³) of criteria pollutants | | | |
|---|---|---|---|
| Criteria Pollutants | Minimum (µg/m³) | Maximum (µg/m³) | CPCB Standard (µg/m³) |
| $PM_{2.5}$ | 38.6 | 52.6 | 60 |
| $PM_{10}$ | 64.1 | 87.5 | 100 |
| $SO_2$ | 8.9 | 25.6 | 80 |
| $NO_2$ | 9.1 | 33.4 | 80 |

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता– ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रासायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर–

| Noise level - dB (A) | | | |
|---|---|---|---|
| Equivalent Noise level | Minimum dB (A) | Maximum dB (A) | CPCB Standard dB (A) |
| Day $L_{eq}$ | 46.2 | 69.6 | 75 |
| Night $L_{eq}$ | 38.2 | 56.9 | 70 |

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. पी.सी.यू. की गणना– भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार–

| Status | PCU / Day |
|---|---|
| Before operation of the expansion project | 16,960.5 |
| After operation of the Proposed expansion project | 17,397.5 |

विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड बेयरिंग क्षमता निर्धारित मानक (As per IRC: 73-1980 carrying capacity 20,000 PCU per day for National Highway) के भीतर है।

13. लोक सुनवाई दिनांक 18/04/2022 प्रातः 10:30 बजे स्थान – सीएसआईडीसी भवन के परिसर, औद्योगिक क्षेत्र, फेस–2, सिलतरा, जिला–रायपुर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 13/06/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

14. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये है–

i. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यतानुसार रोजगार प्रदान किया जाए। साथ ही रोड डेवलपमेंट, गांव के विकास, नहर, नाली के विकास आदि में भी सहयोग प्रदान किया जाए।

ii. उद्योग के विस्तार से प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। सड़कों में डस्ट उत्सर्जन अत्यधिक मात्रा में होती है।

iii. उद्योग की वाहनों के आवागमन से आस–पास के सड़क मार्ग प्रभावित होते है, जिससे आम नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

iv. उद्योग के अंदर वृक्षारोपण पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

**लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है–**

i. वर्तमान में उद्योग में लगभग 350 से 400 लोग काम कर रहे है जिसमें से 71 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार दिया गया है। स्थानीय ग्राम के साथ–साथ समीपवर्ती ग्रामों में विकास कार्य किया जाएगा।

ii. उद्योग में प्रदूषण नियंत्रण हेतु बैग फिल्टर की स्थापना की गई है जिससे पर्यावरण प्रभावित न हो। सड़कों की सफाई के लिए मशीन लगा हुआ है एवं वॉटर टैंकर से जल छिड़काव किया जाता है।

iii. क्षतिग्रस्त सड़कों का मरम्मत किया जाएगा। साथ ही सड़कों में वाहनों के आवागमनों से होने वाले फ्यूजिटीव डस्ट उत्सर्जन के रोकथाम हेतु जल छिड़काव का कार्य किया जाएगा।

iv. वृक्षारोपण हेतु 30 एकड़ में से 11.50 एकड़ भूमि में पौधे रोपित किये गये है जिसमें लगभग 14,900 पौधे लगे हुए है एवं प्रतिवर्ष अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने की कोशिश करते है। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं वृक्षारोपण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

| Additional Capital Investment (In Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (In Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (In Lakh Rupees) |
| 2700 | 1% | 27 | Following activities at, Village-Bhaismuda | |
| | | | Eco-Park Nirman | 28.26 |
| | | | **Total** | **28.26** |

सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क निर्माण" हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 3,500 नग पौधों के लिए राशि 7,17,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 6,00,000 रूपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 1,75,000 रूपये, रख–रखाव के लिए राशि 1,64,250 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 16,56,750 रूपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 11,69,250 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत् ईको पार्क निर्माण हेतु ग्राम पंचायत भैसमुड़ा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 22/3(पार्ट), क्षेत्रफल 2.5 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के तहत् कुल लागत

की 2 प्रतिशत अनुसार प्रस्ताव (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही ईको पार्क निर्माण के अतिरिक्त प्रस्तावित स्कूल में किये जाने वाले कार्य का विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-**

1. भूमि स्वामित्व/भूमि आबंटन संबंधी दस्तावेज खसरावार सहित प्रस्तुत किया जाए।
2. उत्पन्न औद्योगिक दूषित जल अनुसार इफ्ल्युएंट ट्रीटमेंट प्लांट एवं घरेलू दूषित जल अनुसार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था हेतु जानकारी (क्षमता, ड्राईंग सहित) प्रस्तुत किया जाए।
3. स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा/गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट की संख्या सहित एवं चिमनी संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. उद्योग में काम करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
6. उद्योग परिसर के चारों ओर एवं उद्योग क्षेत्र के रिक्त स्थान में भी अर्थात् 50 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु 5 से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का रोपण (90 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव ले-आउट प्लान में दर्शाते हुए प्रस्तुत किया जाए।
7. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में प्रस्तुत पालन प्रतिवेदन अनुसार शर्त क्रमांक 5 के अपूर्ण पालन का पूर्ण पालन करने के संबंध में कार्ययोजना एवं जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
8. सी.ई.आर. के तहत् कुल लागत के 2 प्रतिशत अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। साथ ही ईको पार्क निर्माण के लिए विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.), के अतिरिक्त प्रस्तावित स्कूल में किये जाने वाले कार्य का विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी. आर.) प्रस्तुत किया जाए।
9. उद्योग परिसर के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को समस्त रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. जनसुनवाई के दौरान विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामीणों के समक्ष दिये गये आश्वासन को पूरा करने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

14. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार शर्तों का पूर्ण पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/03/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 21/04/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

**(स) समिति की 464वीं बैठक दिनांक 11/05/2023**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. भूमि स्वामित्व/भूमि आबंटन संबंधी दस्तावेज खसरावार सहित प्रस्तुत किया गया है।

2. **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी। पॉवर प्लांट से जनित दूषित जल के उपचार हेतु इफ्ल्युएंट ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 25 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना किया गया है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी। गैसीफायर से जनित फिनॉलिक वेस्ट वाटर को डी.आर.आई. किल्न के आफ्टर बर्निंग चेम्बर में जलाये जाने का प्रस्ताव है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है।

3. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – वर्तमान में स्थापित स्पंज आयरन किल्न से पार्टिकुलेट मैटर 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्सर्जन की मात्रा 27 टन प्रतिवर्ष एवं सल्फर डॉईऑक्साईड उत्सर्जन की मात्रा 621.04 टन प्रतिवर्ष है। वर्तमान में स्थापित इण्डक्शन फर्नेस से उत्पादन की दशा में पार्टिकुलेट मैटर 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्सर्जन की मात्रा 9.18 टन प्रतिवर्ष है तथा स्थापित एफ.बी.सी. आधारित पॉवर प्लांट से पार्टिकुलेट मैटर 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्सर्जन की मात्रा 48.6 टन प्रतिवर्ष एवं सल्फर डॉईऑक्साईड उत्सर्जन की मात्रा 162.3 टन प्रतिवर्ष है। इस प्रकार स्थापित इकाई से कुल पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 84.78 टन प्रतिवर्ष एवं सल्फर डॉईऑक्साईड उत्सर्जन की मात्रा 783.34 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत स्थापित इण्डक्शन फर्नेस (2x8 टन) के स्थान पर प्रस्तावित इण्डक्शन फर्नेस (2x10 टन) से उत्पादन की दशा में पार्टिकुलेट मैटर 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्सर्जन की मात्रा 15.552 टन प्रतिवर्ष होगा तथा नवीन इण्डक्शन फर्नेस (2x15 टन) से उत्पादन की दशा में पार्टिकुलेट मैटर 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्सर्जन की मात्रा 20.736 टन प्रतिवर्ष होगा। प्रस्तावित री-हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल से उत्पादन की दशा में पार्टिकुलेट मैटर 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्सर्जन की मात्रा 6.221 टन प्रतिवर्ष एवं सल्फर डॉईऑक्साईड उत्सर्जन की मात्रा 215.136 टन प्रतिवर्ष होगा। स्थापित स्पंज आयरन किल्न एवं स्थापित एफ.बी.सी. आधारित पॉवर प्लांट से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन एवं सल्फर डॉईऑक्साईड उत्सर्जन की मात्रा में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है। इस प्रकार प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत कुल पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 123.509 टन प्रतिवर्ष एवं सल्फर डॉईऑक्साईड उत्सर्जन की मात्रा 996.470 टन प्रतिवर्ष होगा।

समिति द्वारा पाया गया कि प्रस्तावित क्षेत्र सिलतरा औद्योगिक क्षेत्रांतर्गत है, जिसके कारण माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 10/07/2019 एवं दिनांक 23/08/2019 के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा कार्यालय आदेश जारी किया गया है। जिसके अनुसार "For expansion and diversification activity, the pollution load shall not exceed the existing load for which consent has been granted." जारी किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्थापित इकाई से क्षमता विस्तार उपरांत प्रस्तुत प्रदूषण भार की गणना अनुसार बढ़ोतरी हो रही है। इस संबंध में समिति का मत है कि प्रस्तुत प्रदूषण भार की गणना अनुसार विचार किया जाना संभव नहीं है। अतः पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन एवं सल्फर डॉईऑक्साईड उत्सर्जन की मात्रा में कमी करते हुए पुनः प्रदूषण भार की गणना कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 2 नग 750 के.वी.ए. एकॉस्टिक इन्क्लोजर में स्थापित है, जिसमें चिमनी की ऊंचाई बिल्डिंग की ऊंचाई से 3.5 मीटर अधिक है। किया जाना प्रस्तावित है।

5. उद्योग में काम करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में प्रस्तुत प्रस्ताव में कुल क्षेत्रफल का 40.08 प्रतिशत में वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया था। वर्तमान में पुनः उद्योग परिसर का परीक्षण उपरांत कुल क्षेत्रफल के 42.5 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। जिसके तहत प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 6,15,000 रूपये, सिंचाई तथा खाद के लिए राशि 1,50,000 रूपये, रख-रखाव के लिए राशि 1,64,260 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 9,29,260 रूपये एवं आगामी 4 वर्ष हेतु कुल राशि 19,61,013.23 रूपये घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्मति शर्त के अपूर्ण पालन (स्थापित इण्डक्शन फर्नेस में सी.ई.एम.एस. की स्थापना नहीं करने) का पूर्ण पालन करने के संबंध में बताया गया कि नियमानुसार इण्डक्शन फर्नेस में सी.ई.एम.एस. की स्थापना किया जाना अनिवार्य नहीं है। अन्य इकाई जैसे कि स्थापित स्पंज आयरन एवं एफ.बी.सी.

आधारित पॉवर प्लांट में सी.ई.एम.एस. की स्थापना की गई है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत इन्डक्शन फर्नेस एवं रि-हीटिंग फर्नेस रोलिंग मिल में सी.ई.एम.एस. की स्थापना प्रस्तावित है।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु ब्राउन फिल्ड होने के कारण पूर्व में सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तुत कुल लागत का 1 प्रतिशत प्रस्ताव (28.26 लाख) को मान्य किये जाने का अनुरोध किया गया है। समिति का मत है कि प्रस्तावित परियोजना समिति के समक्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रथम बार आये जाने के कारण सी.ई.आर. के तहत् कुल लागत के 2 प्रतिशत अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही ईको पार्क निर्माण के लिए विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.), के अतिरिक्त प्रस्तावित स्कूल में किये जाने वाले कार्य का विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. उद्योग परिसर के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार स्थानीय लोगों को समस्त रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. जनसुनवाई के दौरान विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामीणों के समक्ष दिये गये आश्वासन को पूरा करने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

14. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार शर्तों का पूर्ण पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

**समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–**

1. पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन एवं सल्फर डॉईऑक्साईड उत्सर्जन की मात्रा में कमी करते हुए पुनः प्रदूषण भार की गणना कर प्रस्तुत किया जाए।
2. ईको पार्क निर्माण के लिए विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.), के अतिरिक्त प्रस्तावित स्कूल में किये जाने वाले कार्य का विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/07/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 24/07/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

**(द) समिति की 480वीं बैठक दिनांक 10/08/2023**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. प्रदूषण भार संबंधी विवरण:– परियोजना प्रस्तावक द्वारा सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की संशोधित गणना कर (प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा) निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत किया गया है:–

   - वर्तमान में स्थापित स्पंज आयरन किल्न से पार्टिकुलेट मैटर 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्सर्जन की मात्रा 27 टन प्रतिवर्ष एवं सल्फर डाईऑक्साईड उत्सर्जन की मात्रा 821.04 टन प्रतिवर्ष है। वर्तमान में स्थापित इण्डक्शन फर्नेस से उत्पादन की दशा में पार्टिकुलेट मैटर 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्सर्जन की मात्रा 9.18 टन प्रतिवर्ष है तथा स्थापित एफ.बी.सी. आधारित पॉवर प्लांट से पार्टिकुलेट मैटर 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्सर्जन की मात्रा 48.6 टन प्रतिवर्ष एवं सल्फर डाईऑक्साईड उत्सर्जन की मात्रा 162.3 टन प्रतिवर्ष है। इस प्रकार स्थापित इकाई से कुल पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 84.78 टन प्रतिवर्ष एवं सल्फर डाईऑक्साईड उत्सर्जन की मात्रा 783.34 टन प्रतिवर्ष है।

   - प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत स्थापित इण्डक्शन फर्नेस (2x8 टन) के स्थान पर प्रस्तावित इण्डक्शन फर्नेस (2x10 टन) से उत्पादन की दशा में पार्टिकुलेट मैटर 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्सर्जन की मात्रा 15.552 टन प्रतिवर्ष होगा तथा नवीन इण्डक्शन फर्नेस (2x15 टन) से उत्पादन की दशा में पार्टिकुलेट मैटर 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्सर्जन की मात्रा 20.736 टन प्रतिवर्ष होगा। प्रस्तावित री-हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल से उत्पादन की दशा में पार्टिकुलेट मैटर 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्सर्जन की मात्रा 0.6221 टन प्रतिवर्ष एवं सल्फर डाईऑक्साईड उत्सर्जन की मात्रा 21.8136 टन प्रतिवर्ष होगा। वर्तमान में स्थापित स्पंज आयरन किल्न के वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की दक्षता (Efficiency) में वृद्धि एवं उच्च गुणवत्ता के कोयले का उपयोग किया जाकर पार्टिकुलेट मैटर 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्सर्जन की मात्रा 16.2 टन प्रतिवर्ष एवं सल्फर डाईऑक्साईड उत्सर्जन की मात्रा 607.5 टन प्रतिवर्ष होगी तथा स्थापित एफ.बी.सी. आधारित पॉवर प्लांट के वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों

की क्षमता (Efficiency) में वृद्धि किया जाकर पार्टिकुलेट मैटर 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उत्सर्जन की मात्रा 29.18 टन प्रतिवर्ष एवं सल्फर डॉईऑक्साईड उत्सर्जन की मात्रा 143.82 टन प्रतिवर्ष होगी। इस प्रकार प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत कुल पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 82.27 टन प्रतिवर्ष एवं सल्फर डॉईऑक्साईड उत्सर्जन की मात्रा 772.631 टन प्रतिवर्ष होगी।

2. ईको पार्क निर्माण के लिए विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.), के अतिरिक्त प्रस्तावित स्कूल में किये जाने वाले कार्य का विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किये जाने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्कूल में कार्य प्रस्तावित किये जाने के स्थान पर ग्राम पंचायत भैंसमुढ़ा से ईको पार्क निर्माण के लिए अतिरिक्त भूमि 2.5 हेक्टेयर हेतु अनुरोध किया गया। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् ईको पार्क निर्माण के लिए संशोधित विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया गया है:-

| Additional Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 2700 | 2% | 54 | Following activities at, **Village-Bhaismuda** | |
| | | | Eco Park Nirman | 54.79 |
| | | | **Total** | **54.79** |

सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क निर्माण" हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 8,000 नग पौधों के लिए राशि 16,40,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 9,00,000 रूपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 4,00,000 रूपये, रख–रखाव के लिए राशि 2,92,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 32,32,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 22,47,488 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत् ईको पार्क निर्माण हेतु ग्राम पंचायत भैंसमुढ़ा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 22/3(पार्ट), क्षेत्रफल 5.665 हेक्टेयर में से 5 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

**समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि** मेसर्स पासपानी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम–सोण्ड्रा, तहसील व जिला–रायपुर में प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् ग्राम–सोण्ड्रा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 404, 405/1, 405/2, 406/1, 406/2, 406/3, 406/4, 407/1, 407/2, 409/1, 409/2, 409/3, 410/1, 410/2, 411/1, 411/2, 412, 413, 414, 415, 416/1, 416/4, 416/5, 416/6, 416/7, 417/1, 417/2, 417/3, 417/4, 417/5, 417/6, 418/1, 418/2, 418/3, 418/4, 419, 454/1, 454/2, 458, 459, 463/1, 463/2, 463/3, 463/4, 463/5, 463/6, 463/7, 463/8 एवं

484/1, क्षेत्रफल – 11.84 हेक्टेयर से 19.8 हेक्टेयर (48.9 एकड़) में इण्डक्शन फर्नेस विथ एल.आर.एफ. से (एम.एस. बिलेट, इंगाट्स/हॉट बिलेट्स) – 38,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1,80,000 टन प्रतिवर्ष, न्यू रोलिंग मिल (टी–रोल्ड प्रोडक्ट/पत्ता/स्ट्रक्चरल्स स्टील/वायर रॉड) – 1,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–08** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(कल्पिकुल तिर्की)
सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

(डॉ. बी.पी. नोन्हारे)
अध्यक्ष
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

परिशिष्ट–01

**मेसर्स मोहब्बत महिला स्वसहायता समूह, टेलगुड़ा सोसायटी, अध्यक्ष–श्रीमती संगीता पोटा (टेलगुड़ा सेण्ड माईन–1) को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, कुल क्षेत्रफल–4.9 हेक्टेयर में क्षेत्र का कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन, ग्राम–मुईनाड़, ग्राम–टेलगुड़ा, तहसील–चारामा, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) में महानदी से रेत उत्खनन क्षमता 44,100 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें**

**यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।**

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु वैध होगी।
2. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
3. इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत् 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. **गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट** – परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल अक्षांश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
6. लीज क्षेत्र के चारों कोनों तथा सीमा लाईन के मध्य में सीमेंट के खम्भे गड़ाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
7. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
8. माईनिंग प्लान अनुसार वैध उत्खनन क्षेत्र 4.9 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। शेष 40 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा। रेत का उत्खनन सतह से 1.5 मीटर गहराई तक ही किया जाएगा, उससे अधिक नहीं। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 44,100 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
9. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना होगा।
10. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित चिन्ह बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े तत्काल एस.ई.आई.ए.

ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जावें। पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं चिन्ह बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित चिन्ह बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं चिन्ह बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स Levels का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित चिन्ह बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स Levels के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जावेंगे।

11. रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

12. रेत का उत्खनन केवल चिन्हित, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई सतह से 1.5 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह से 1 मीटर छोड़कर दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

13. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।

14. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का पेय, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

15. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव–जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

16. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए। रात्रि में अवैध उत्खनन पाये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण,

वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

18. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों की क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

19. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

20. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023–24 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, शीशू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1,500 नग पौधों का रोपण नदी तट पर रोपित किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संबंधी आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परियोजना प्रस्तावक का रहेगा।**

21. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

22. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

23. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

24. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए–

| **Capital Investment (in Lakh Rupees)** | **Percentage of Capital Investment to be Spent** | **Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)** | **Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Particulars** | **CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)** |
| 27.36 | 2% | 0.54 | Following activities at nearby **Village-Telguda** | |
| | | | Plantation around Pond & AMC for 5 years | 0.60 |
| | | | **Total** | **0.60** |

25. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

26. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण हेतु (आम, जामुन आदि) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 25 नग पौधों के लिए राशि 1,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,500 रूपये, खाद के लिए राशि 500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 15,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 18,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 42,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–तेलपुआ, ग्राम पंचायत सिलाई के सहमति उपरांत उपयुक्त स्थान (ग्राम–तेलपुआ के खसरा क्रमांक 608 एवं 609 में स्थित तालाब) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

27. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

28. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

30. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।

31. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तों एवं तद्नुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।

32. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूर्ण होने के पश्चात हटाया जा सके।

33. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में मल मूत्र विसर्जन, अथवा खाद्य सामग्री के पैकेट, प्लास्टिक आदि का विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा। नदी एवं नदी जल की स्वच्छता का ध्यान रखा जावे।

34. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जावे।

35. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

36. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

37. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्त्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

38. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ आवश्यक शर्तों सहित सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

39. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी।

40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

41. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

42. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए.

छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

43. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

44. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

परिशिष्ट–02

**मेसर्स सिरी सेण्ड क्वारी (सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत सिरी) को खसरा क्रमांक 21, कुल क्षेत्रफल–3.035 हेक्टेयर में क्षेत्र का कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन, ग्राम–सिरी, तहसील–पसान, जिला–कोरबा (छ.ग.) में बनगी नदी से रेत उत्खनन क्षमता 18,210 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें**

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावें तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु वैध होगी।
2. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
3. इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत् 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट – परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल अक्षांश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
6. लीज क्षेत्र के चारों कोनों तथा सीमा लाईन के मध्य में सीमेंट के खम्भे गड़ाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
7. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
8. माईनिंग प्लान अनुसार वैध उत्खनन क्षेत्र 3.035 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। शेष 40 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा। रेत का उत्खनन सतह से 1 मीटर गहराई तक ही किया जाएगा, उससे अधिक नहीं। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 18,210 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
9. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना होगा।
10. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपयोगितानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े तत्काल एस.ई.आई.ए.

ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जावें। पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं चिह्न बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स Levels का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स Levels के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

11. रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

12. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई सतह से 1 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह से 1 मीटर छोड़कर दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

13. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।

14. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

15. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव–जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

16. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए। रात्रि में अवैध उत्खनन पाये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रणाली तथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण,

वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

18. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

19. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

20. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023–24 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, शीशु, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 700 नग पौधों का रोपण नदी तट पर रोपित किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संबंधी आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परियोजना प्रस्तावक का रहेगा।

21. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

22. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

23. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

24. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 28.968 | 2% | 0.579 | Folowing activities at nearby | |
| | | | Pavitra Van Nirman | 0.579 |
| | | | **Total** | **0.579** |

25. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

26. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (बरगद, नीम, पीपल, बेल, आंवला, जामुन आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 50 नग पौधों के लिए राशि 5,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 20,436 रूपये, खाद के लिए राशि 1,500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 5,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 31,936 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 26,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत सिर्री के सहमति उपरांत स्थायीग्य स्थान (खसरा क्रमांक 21/1/क, क्षेत्रफल 0.983 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

27. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

28. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

30. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।

31. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तों एवं तद्नुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।

32. कार्य स्थल पर यदि केंपिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

33. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में मल मूत्र विसर्जन, अथवा खाद्य सामग्री के पैकेट, प्लास्टिक आदि का विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा। नदी एवं नदी जल की स्वच्छता का ध्यान रखा जावे।

34. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जावे।

35. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

36. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

37. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

38. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ आवश्यक शर्तों सहित सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट pariveah.nic.in पर भी किया जा सकता है।

39. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, कोरबा, एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी।

40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

41. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

42. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए.

छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

43. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

44. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. | अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

**मेसर्स धुनकट्टा लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री विकास अग्रवाल)**
**की पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 49, 50, 51, 52 एवं 53/1, कुल लीज क्षेत्र 1.88 हेक्टेयर, ग्राम–धुनकट्टा, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग में चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन – 19,950 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें**

**यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।**

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.88 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 19,950 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् होगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल अक्षांश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति आदि) लगाया जाए।
4. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संधारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
5. क्लस्टर हेतु तैयार ई.आई.ए. रिपोर्ट में जिन स्थलों पर मॉनिटरिंग कार्य किया गया है, उक्त स्थलों पर प्रतिमाह मॉनिटरिंग कार्य (वायु, जल तथा मिट्टी) किया जाए। मॉनिटरिंग रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई–दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को अर्धवार्षिक (Half yearly Monitoring Report) प्रेषित की जाए।
6. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
8. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन

और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

9. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनर्स्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह घास, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

10. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्त्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

11. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बैग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेनमेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

12. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।

14. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए। ऐसा करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति किसी भी समय तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।

15. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए।

16. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुरूपयोग, विक्रय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनर्भराव के लिए किया जाए।

17. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हांकित स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावें ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर

विपरित प्रभाव न डाल सके। डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

18. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनर्भरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

20. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

21. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए–

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Particulars** | **CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)** |
| 66 | 2% | 1.32 | Following activities at nearby, **Village-Chunkatta** | |
| | | | Pavitra Van Nirman | 12.19 |
| | | | **Total** | **12.19** |

22. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

23. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (नीम, आम, करंज, कदम, जामुन, आंवला, अमलतास, बड़, पीपल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 228 नग पौधों के लिए राशि 17,176 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,02,800 रूपये, खाद के लिए राशि 1,710 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,26,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,47,686 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,71,712 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत चुनकट्टा द्वारा श्री विकास अग्रवाल, कुल लीज क्षेत्रफल 3.08 हेक्टेयर एवं श्री विकास अग्रवाल, कुल लीज क्षेत्रफल 1.86 हेक्टेयर, को सी.ई.आर. के अंतर्गत पवित्र वन निर्माण हेतु खसरा क्रमांक 404 के क्षेत्रफल 0.31 हेक्टेयर में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

24. सी.ई.आर., कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण

कार्यो के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

25. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्ठा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

26. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 822 नग वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

27. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023–24 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 350 पौधों का रोपण (कुल 1,172 पौधे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हांकित क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।**

28. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये जियोटैग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।

29. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। आपके द्वारा रोपित पौधों के वृक्षारोपण को सफल बनाना आपकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

30. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं लोक सुनवाई में दिये गये आश्वासन के अनुसार कार्य करना, कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता के कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले

श्रमिकों को इयरप्लग / मास्क आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

33. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा किया जाए पत्थर के छोटे–छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

34. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के ऊपर अनुकूल प्रमाण में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

35. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं का समुचित संरक्षण आपका दायित्व होगा।

36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

37. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

38. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

39. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

40. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

41. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

42. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन / निरस्त करने अथवा नई शर्तें जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

43. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

44. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय,

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई–दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।

45. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

46. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

47. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

48. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उत्पादन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

49. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

50. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. | अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

**मेसर्स चुनकट्टा लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री विकास अग्रवाल) की खसरा क्रमांक 37(पार्ट), 39(पार्ट), 42(पार्ट), 43(पार्ट), 44(पार्ट), 45(पार्ट), 46(पार्ट), 47(पार्ट), 48(पार्ट), 49(पार्ट), 50(पार्ट) एवं 51(पार्ट), कुल लीज क्षेत्र 3.08 हेक्टेयर, ग्राम–चुनकट्टा, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग में चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन – 56,250 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें**

**यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।**

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 3.08 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 56,250 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल अक्षांश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संधारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
5. क्लस्टर हेतु तैयार ई.आई.ए. रिपोर्ट में जिन स्थलों पर मॉनिटरिंग कार्य किया गया है, उक्त स्थलों पर प्रतिमाह मॉनिटरिंग कार्य (वायु, जल तथा मिट्टी) किया जाए। मॉनिटरिंग रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई–दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को अर्धवार्षिक (Half yearly Monitoring Report) प्रेषित की जाए।
6. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
8. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी

व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

9. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह घास, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

10. भू-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्त्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

11. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बैग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेनमेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। व्हिल वॉशिंग पीठ का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

12. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।

14. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए। ऐसा करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति किसी भी समय तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।

15. उत्खनन-प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए।

16. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुरूपयोग, विक्रय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनर्भराव के लिए किया जाए।

17. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को

उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावें ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

18. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनर्भरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

20. खनिज का परिवहन ढकाई वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

21. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए-

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 66 | 2% | 1.32 | Following activities at nearby, **Village-Chunkatta** | |
| | | | Pavitra Van Nirman | 12.19 |
| | | | **Total** | **12.19** |

22. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

23. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (नीम, आम, करंज, कदम, जामुन, आंवला, अमलतास, बड़, पीपल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 228 नग पौधों के लिए राशि 17,176 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,02,800 रूपये, खाद के लिए राशि 1,710 रूपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 2,26,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,47,686 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,71,712 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत चुनकट्टा द्वारा श्री विकास अग्रवाल, कुल लीज क्षेत्रफल-3.06 हेक्टेयर एवं श्री विकास अग्रवाल, कुल लीज क्षेत्रफल-1.80 हेक्टेयर, को सी.ई.आर. के अंतर्गत संयुक्त पवित्र वन निर्माण हेतु खसरा क्रमांक 404 के क्षेत्रफल 0.31 हेक्टेयर में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

24. सी.ई.आर., कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

25. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्ठा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

26. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,113 नग वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

27. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023–24 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 650 पौधों का रोपण (कुल 1,763 पौधे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।**

28. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।

29. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। आपके द्वारा रोपित पौधों के वृक्षारोपण को सफल बनाना आपकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

30. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं लोक सुनवाई में दिये गये आश्वासन के अनुसार कार्य करना, कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता के कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय

70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाए एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

33. कन्ट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा किया जाए पत्थर के छोटे–छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

34. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के ऊपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

35. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं का समुचित संरक्षण आपका दायित्व होगा।

36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन्स एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

37. कार्य स्थल पर यदि लेबर श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

38. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

39. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

40. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

41. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

42. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्तें जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्त्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

43. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

44. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई–दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।

45. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

46. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

47. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

48. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

49. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

50. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

परिशिष्ट—05

**मेसर्स बलुवाबहार सेण्ड क्वॉरी (सचिव/सरपंच, ग्राम पंचायत अनखीहा)**

**को खसरा क्रमांक 1, कुल क्षेत्रफल—2 हेक्टेयर में क्षेत्र का कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन, ग्राम—बलुवाबहार, तहसील—फरसाबहार, जिला—जशपुर (छ.ग.) में ईब नदी से रेत उत्खनन क्षमता 12,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें**

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावें तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु वैध होगी।
2. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
3. इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत् 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. **गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट** — परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल अक्षांश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
6. लीज क्षेत्र के चारों कोनों तथा सीमा लाईन के मध्य में सीमेंट के खम्भे गड़ाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
7. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
8. माईनिंग प्लान अनुसार वैध उत्खनन क्षेत्र 2 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। शेष 40 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा। रेत का उत्खनन सतह से 1 मीटर गहराई तक ही किया जाए 12,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
9. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना होगा।
10. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपयोगानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें। पोस्ट—मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत

उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं चिह्न बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का कार्य पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

11. रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

12. रेत का उत्खनन केवल चिन्हांकित, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई सतह से 1 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह से 1 मीटर छोड़कर दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

13. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।

14. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

15. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव–जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

16. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए। रात्रि में अवैध उत्खनन पाये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

18. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

19. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

20. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023–24 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, शीशम आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 400 नग पौधों का रोपण नदी तट पर रोपित किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (जैसा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संबंधी आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परियोजना प्रस्तावक का रहेगा।

21. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

22. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

23. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

24. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 20 | 2% | 0.40 | Following activities at Govt. Primary School, **Village - Baluwabahar** | |
| | | | Plantation | 5.38 |
| | | | **Total** | **5.38** |

25. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जायेगी।

26. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में वृक्षारोपण के तहत् (नीम, आम, महुआ आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 70 नग पौधों के लिए राशि 2,450 रुपये,

फेंसिंग के लिए राशि 35,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 99,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,37,450 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 4,00,980 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

27. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (क्रेन्साईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

28. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/पट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यो का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

30. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।

31. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तो एवं तद्नुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।

32. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

33. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में मल मूत्र विसर्जन, अथवा खाद्य सामग्री के पैकेट, प्लास्टिक आदि का विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा। नदी एवं नदी जल की स्वच्छता का ध्यान रखा जावें।

34. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जावे।

35. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

36. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

37. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्त्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

38. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ आवश्यक शर्तों सहित सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

39. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्धवार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायगढ़, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी।

40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

41. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

42. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

43. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

44. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

# ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR BUILDING PROJECT BY M/S SHIVAY INFRA (PARTNER – SHREE RAJESH KUKREJA) AT LABHANDIH, TEHSIL & DISTRICT- RAIPUR IN PROJECT AREA – 1.27 HA FOR THE PROPOSED BUILTUP AREA – 26,599.6 $M^2$

## I. Statutory Compliance:

i. The project proponent shall obtain all necessary clearance / permission from all relevant agencies including Town & Country planning authority before commencement of work. All the construction shall be done in accordance with the local building byelaws.

ii. The project proponent shall obtain permission for this project from Chhattisgarh Real Estate Regulatory Authority, Raipur (if required)

iii. The approval of the Competent Authority shall be obtained for structural safety of Buildings due to earthquakes, adequacy of fire fighting equipment etc as per National Building Code including protection measures from lightening etc.

iv. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State Pollution Control Board/ Committee.

v. The project proponent shall obtain the necessary permission for drawl of ground water / surface water required for the project from the competent authority.

vi. A certificate of adequacy of available power from the agency supplying power to the project along with the load allowed for the project should be obtained.

vii. All other statutory clearances such as the approvals for storage of diesel from Chief Controller of Explosives, Fire Department, Civil Aviation Department shall be obtained, as applicable, by project proponents from the respective competent authorities.

viii. The provisions of the Solid Waste (Management) Rules, 2016, e-Waste (Management) Rules, 2016, the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 (as amended) and the Plastic Waste (Management) Rules, 2016 (as amended) shall be followed.

ix. The project proponent shall follow the ECBC/ECBC-R prescribed by Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power strictly. Use of chillers shall be CFC & HCFC free.

## II. Air Quality Monitoring And Preservation

i. Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi notification GSR 94(E) dated 25/01/2018 of regarding mandatory implementation of dust mitigation measures for Construction and Demolition Activities for projects requiring Environmental Clearance shall be complied.

ii. A management plan shall be drawn up and implemented to contain the current exceedance in ambient air quality at the site.

iii. The project proponent shall install system to carryout Ambient Air Quality monitoring for common/criterion parameters relevant to the main pollutants released (e.g. $PM_{10}$ and $PM_{2.5}$) covering upwind and downwind directions during the construction period.

iv. Diesel power generating sets proposed as source of backup power should be of enclosed type and conform to rules made under the Environment (Protection) Act, 1986. The height of stack of DG sets should be equal to the height needed for the combined capacity of all proposed DG sets. Use of low sulphur diesel. The location of the DG sets may be decided with in consultation with State Pollution Control Board.

v. Construction site shall be adequately barricaded before the construction begins. Dust, smoke & other air pollution prevention measures (for eg. Dust sprinkling, covering with green net etc.) shall be provided for the building as well as the site. These measures shall include screens for the building under construction, continuous dust/ wind breaking walls all around the site (at least 3 meter height). Plastic/tarpaulin sheet covers shall be provided for vehicles bringing in sand, cement, murram and other construction materials prone to causing dust pollution at the site as well as taking out debris from the site.

vi. Sand, murram, loose soil, cement, stored on site shall be covered adequately so as to prevent dust pollution. Wet jet shall be provided for grinding and stone cutting.

vii. Unpaved surfaces and loose soil shall be adequately sprinkled with water to suppress dust.

viii. All construction and demolition debris shall be stored at the site (and not dumped on the roads or open spaces outside) before they are properly disposed. All demolition and construction waste shall be managed as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Rules, 2016.

ix. The diesel generator sets to be used during construction phase shall be low sulphur diesel type and shall conform to Environmental (Protection) prescribed for air and noise emission standards.
x. The gaseous emissions from DG set shall be dispersed through adequate stack height as per CPCB standards. Acoustic enclosure shall be provided to the DG sets to mitigate the noise pollution. Low sulphur diesel shall be used. The location of the DG set and exhaust pipe height shall be as per the provisions of the Central Pollution Control Board (CPCB) norms.
xi. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.

**III. Water Quality Monitoring And Preservation**

i. The natural drain system should be maintained for ensuring unrestricted flow of water. No construction shall be allowed to obstruct the natural drainage through the site, on wetland and water bodies. Check dams, bio-swales, landscape, and other sustainable urban drainage systems (SUDS) are allowed for maintaining the drainage pattern and to harvest rainwater.
ii. Design of Buildings shall follow the natural topography as much as possible. Minimum cutting and filling should be done.
iii. Total fresh water requirement at the time of construction phase capacity 140.98 $m^3$/day shall not exceed in the existing and the proposed project.
iv. The quantity of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The record shall be submitted to the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur along with six monthly Monitoring reports.
v. A certificate shall be obtained from the local body supplying water, specifying the total annual water availability with the local authority, the quantity of water already committed, the quantity of water allotted to the project under consideration and the balance water available. This should be specified separately for ground water and surface water sources, ensuring that there is no impact on other users.
vi. At least 20% of the open spaces as required by the local building bye-laws shall be pervious. Use of Grass pavers, paver blocks with at least 50% opening, landscape etc. would be considered as pervious surface.
vii. Installation of dual pipe plumbing for supplying fresh water for drinking, cooking and bathing etc and other for supply of recycled water for flushing, landscape irrigation, car washing, thermal cooling, conditioning etc. shall be done.
viii. Use of water saving devices/ fixtures (viz. low flow flushing systems; use of low flow faucets tap aerators etc) for water conservation shall be incorporated in the building plan.
ix. Separation of grey and black water should be done by the use of dual plumbing system. In case of single stack system separate recirculation lines for flushing by giving dual plumbing system be done.
x. Water demand during construction should be reduced by use of pre-mixed concrete, curing agents and other best practices referred.
xi. The local bye-law provisions on rain water harvesting should be followed. If local bye-law provision is not available, adequate provision for storage and recharge should be followed as per the Ministry of Urban Development Model Building Byelaws, 2016. Rain water harvesting recharge pits/storage tanks shall be provided for ground water recharging as per the CGWB norms.
xii. A rain water harvesting plan needs to be designed where the recharge bores of minimum one recharge bore per 5,000 square meters of built up area and storage capacity of minimum one day of total fresh water requirement shall be provided. In areas where ground water recharge is not feasible, the rain water should be harvested and stored for reuse. The ground water shall not be withdrawn without approval from the Competent Authority. Project proponent shall develop rainwater-harvesting structures for 100% harvesting of rainwater in the premises for recharging the ground water table. Rainwater from open spaces shall be collected and reuse for landscaping and other purposes. Rooftop rainwater harvesting shall be adopted for the buildings & residential blocks to be constructed by individual owners. Every building shall have rainwater-harvesting facilities. The storm water flowing in roadside drains shall also be recycled and reused to maintain the vegetation and discharged into natural water bodies. Before recharging the surface runoff, pre treatment must be done to remove suspended matter and oil & grease. Rainwater harvesting pits shall be constructed as per proposal.
xiii. The project proponent shall complete construction of rainwater harvesting structure within four months.
xiv. All recharge should be limited to shallow aquifer.
xv. Water shall be sourced from Raipur Municipal Corporation. No ground water shall be used during construction phase of the project before prior permission from CGWA.

xvi. Any ground water dewatering should be properly managed and shall conform to the approvals and the guidelines of the CGWA in the matter. Formal approval shall be taken from the CGWA for any ground water abstraction or dewatering.

xvii. The quantity of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The record shall be submitted to the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur along with six monthly Monitoring reports.

xviii. Sewage shall be treated in the STP (bar screen, oil grease trap, equilization tank, MBBR tank, sand filter, activated carbon filter, filter press and sludge drying bed) with tertiary treatment. The treated effluent from STP shall be recycled/re-used for flushing, AC make up water and gardening after disinfection. As proposed, no untreated water shall be disposed into municipal drain. As far as possible, zero discharge condition shall be maintained. Project proponent shall construct pucca drain upto nearest municipal drain. Project proponent shall install separate electric metering arrangement with time totalizer for the running of pollution control systems. The record (logbook) of power & chemical consumption for running the pollution control systems shall be maintained.

xix. The capacity of Sewage Treatment Plant Capacity shall not be less than 125 $m^3$/day.

xx. No sewage or untreated effluent water would be discharged through storm water drains.

xxi. Onsite sewage treatment of capacity of treating 100% waste water to be installed. The installation of the Sewage Treatment Plant (STP) shall be certified by an independent expert and a report in this regard shall be submitted to the Ministry before the project is commissioned for operation. Treated waste water shall be reused on site for landscape, flushing, cooling tower, and other end-uses. Excess treated water shall be discharged as per statutory norms notified by Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Natural treatment systems shall be promoted.

xxii. Periodical monitoring of water quality of treated sewage shall be conducted. Necessary measures should be made to mitigate the odour problem from STP.

xxiii. Sludge from the onsite sewage treatment, including septic tanks, shall be collected, conveyed and disposed as per the Ministry of Urban Development, Central Public Health and Environmental Engineering Organization (CPHEEO) Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013. The sludge generated from Sewage Treatment Plant (after drying) shall be used as manure for gardening purpose.

## IV. Noise Monitoring And Prevention

i. Ambient noise levels shall conform to residential area/commercial area/industrial area/silence zone both during day and night as per Noise Pollution (Control and Regulation) Rules, 2000. Incremental pollution loads on the ambient air and noise quality shall be closely monitored during construction phase. Adequate measures shall be made to reduce ambient air and noise level during construction phase, so as to conform to the stipulated standards by CPCB / SPCB.

ii. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Officer, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur as a part of six-monthly compliance report.

iii. Acoustic enclosures for DG sets, noise barriers for ground-run bays, ear plugs for operating personnel shall be implemented as mitigation measures for noise impact due to ground sources.

## V. Energy Conservation Measures

i. Compliance with the Energy Conservation Building Code (ECBC) of Bureau of Energy Efficiency shall be ensured. Buildings in the States which have notified their own ECBC, shall comply with the State ECBC.

ii. Outdoor and common area lighting shall be LED.

iii. Concept of passive solar design that minimize energy consumption in buildings by using design elements, such as building orientation, landscaping, efficient building envelope, appropriate fenestration, increased day lighting design and thermal mass etc. shall be incorporated in the building design. Wall, window, and roof u-values shall be as per ECBC specifications.

iv. Energy conservation measures like installation of LED for the lighting the area outside the building should be integral part of the project design and should be in place before project commissioning.

v. Solar, wind or other Renewable Energy shall be installed to meet electricity generation equivalent to 1% of the demand load or as per the state level / local building bye-laws requirement, whichever is higher.

vi. Solar power shall be used for lighting in the apartment to reduce the power load on grid. Separate electric meter shall be installed for solar power. Solar water heating shall be provided to meet 20% of the hot water demand of the commercial and institutional building or as per the requirement of the local building bye-laws, whichever is higher. Residential buildings are also recommended to meet its hot water demand from solar water heaters, as far as possible.

## VI. Waste Management

i. A certificate from the competent authority handling municipal solid wastes, indicating the existing civic capacities of handling and their adequacy to cater to the M.S.W. generated from project shall be obtained.

ii. Disposal of muck during construction phase shall not create any adverse effect on the neighboring communities and be disposed taking the necessary precautions for general safety and health aspects of people, only in approved sites with the approval of competent authority.

iii. Separate wet and dry bins must be provided in each unit and at the ground level for facilitating segregation of waste. Solid waste shall be segregated into wet garbage and inert materials.

iv. Organic waste compost/ Vermiculture pit/ Organic Waste Converter within the premises with a minimum capacity of 0.3 kg /person/day must be installed.

v. All non-biodegradable waste shall be handed over to authorized recyclers for which a written tie up must be done with the authorized recyclers.

vi. Any hazardous waste generated during construction phase, shall be disposed off as per applicable rules and norms with necessary approvals of the State Pollution Control Board.

vii. Use of fly ash based bricks / blocks / tiles / products shall be ensured. Blended cement with fly ash shall be used. The provisions of notification issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India regarding use of fly ash must be complied with. Appropriate usage of other industrial wastes shall also be explored. Soil borrow area should be filled up with ash with proper compaction and covered with topsoil kept separately. Fly ash / pond ash shall be used for low-lying areas filling. In embankments / road construction etc. ash shall be utilized as per guidelines of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India / Central Pollution Control Board / Indian Road Congress etc. concerning authorities.The use of perforated brick / hollow blocks / fly ash based lightweight aerated concrete etc. shall also be ensured so as to reduce load on natural resources.

viii. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provision of Fly Ash Notification of September, 1999 and amended as on 27th August, 2003, 25th January, 2016 and 31st December 2021. Ready mixed concrete must be used in building construction.

ix. Any wastes from construction and demolition activities related thereto shall be managed so as to strictly conform to the Construction and Demolition Rules, 2016.

x. Used CFLs, LEDs and TFLs should be properly collected and disposed off / sent for recycling as per the prevailing guidelines / rules of the regulatory authority to avoid mercury contamination.

## VII. Green Cover

i. No tree can be felled/transplant unless exigencies demand. Where absolutely necessary, tree felling shall be with prior permission from the concerned regulatory authority. Old trees should be retained based on girth and age regulations as may be prescribed by the Forest Department. Plantations to be ensured species (cut) to species (planted).

ii. Green belt shall be developed in an area equal to 33 % of the net planning area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. The greenbelt shall inter alia cover the entire periphery of the constructed. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes. A minimum of 1 tree for every 80 sqm of land should be planted and maintained. The existing trees will be counted for this purpose. The landscape planning should include plantation of native species. The species with heavy foliage, broad leaves and wide canopy cover are desirable. Water intensive and/or invasive species should not be used for landscaping.

iii. Where the trees need to be cut with prior permission from the concerned local Authority, compensatory plantation in the ratio of 1:10 (i.e. planting of 10 trees for every 1 tree that is cut) shall be done and maintained. Plantations to be ensured species (cut) to species (planted). Area for green belt development shall be provided as per the details provided in the project document.

iv. Topsoil should be stripped to a depth of 20 cm from the areas proposed for buildings, roads, paved areas, and external services. It should be stockpiled appropriately in designated areas and reapplied during plantation of the proposed vegetation on site.

## VIII. Transport

i. A comprehensive mobility plan, as per MoUD best practices guidelines (URDPFI), shall be prepared to include motorized, non-motorized, public, and private networks. Road should be designed with due consideration for environment, and safety of users. The road system can be designed with these basic criteria.
   a. Hierarchy of roads with proper segregation of vehicular and pedestrian traffic.
   b. Traffic calming measures.
   c. Proper design of entry and exit points.
   d. Parking norms as per local regulation.

ii. Vehicles hired for bringing construction material to the site should be in good condition and should have a pollution check certificate and should conform to applicable air and noise emission standards be operated only during non-peak hours.

iii. A detailed traffic management and traffic decongestion plan shall be drawn up to ensure that the current level of service of the roads within a 05 kms radius of the project is maintained and improved upon after the implementation of the project. This plan should be based on cumulative impact of all development and increased habitation being carried out or proposed to be carried out by the project or other agencies in this 05 Kms radius of the site in different scenarios of space and time and the traffic management plan shall be duly validated and certified by the State Urban Development department and the P.W.D./ competent authority for road augmentation and shall also have their consent to the implementation of components of the plan which involve the participation of these departments.

iv. The project proponent shall use covered leak proof trucks / dumpers vehicles for transportation of construction materials and C& D wastes.

## IX. Human Health Issues

i. All workers working at the construction site and involved in loading, unloading, carriage of construction material and construction debris or working in any area with dust pollution shall be provided with dust mask.

ii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.

iii. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis.

iv. A First Aid Room shall be provided in the project both during construction and operations of the project.

## X. Corporate Environment Responsibility

i. The project proponent shall comply with the provisions of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility. Project proponent shall made CER fund as follows:-

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 5200 | 2% | 104 | Following activities at, **Village- Amethi** | |
| | | | Pavitra Van Nirman | 111.455 |
| | | | **Total** | **111.455** |

Development of "Pavitra-van Nirman" at gram panchayat in **Village-Amethi**, khasra no. 443, area 5.4 Ha. as dense and religious plantaion. Estimate cost of this plantaion is around **Rs. 1,11,45,510/-**.

i. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.
ii. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.
iii. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nava Raipur Atal Nagar / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.
iv. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.
v. All the recommendations made in the Charter on Corporate Responsibility for Environment Protection (CREP) for the plants (if any) shall be implemented.

## XI. Additional Conditions

i. Local persons shall be given employment during development and operation of the site.
ii. No additional land shall be acquired for this project.
iii. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.
iv. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.
v. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.
vi. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; $PM_{10}$, $SO_2$, $NO_x$ (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.
vii. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.
viii. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.
ix. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.
x. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.
xi. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.
xii. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
xiii. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.

xix. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

xx. The Regional Office Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.

xxi. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

xxii. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

xxiii. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).

**Member Secretary, SEAC** **Chairman, SEAC**

**मेसर्स पुईगांव सेण्ड माईन (प्रो.– सरपंच, ग्राम पंचायत बासनवाही (श्री एमेश कुमार नेताम)) को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 847, कुल क्षेत्रफल–5 हेक्टेयर में क्षेत्र का कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन, ग्राम–पुईगांव, ग्राम पंचायत बासनवाही, तहसील–चारामा, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) में महानदी से रेत उत्खनन क्षमता 45,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें**

**यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।**

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु वैध होगी।
2. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
3. इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत् 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. **गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट** – परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल अक्षांश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
6. लीज क्षेत्र के चारों कोनों तथा सीमा लाईन के मध्य में सीमेंट के खम्भे गड़ाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
7. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
8. माईनिंग प्लान अनुसार वैध उत्खनन क्षेत्र 5 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। शेष 40 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा। रेत का उत्खनन सतह से 1.5 मीटर गहराई तक ही किया जाएगा, उससे अधिक नहीं। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 45,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
9. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना होगा।
10. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े तत्काल एस.ई.आई.ए.

ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जावें। पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं चिह्न बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

11. रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

12. रेत का उत्खनन केवल चिन्हांकित, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई सतह से 1.5 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह से 1 मीटर छोड़कर दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

13. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।

14. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

15. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव–जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

16. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए। रात्रि में अवैध उत्खनन पाये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण,

वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

18. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढंके हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

19. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

20. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023–24 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, नीबू, आम, इमली, शीशम आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1,500 नग पौधों का रोपण नदी तट पर रोपित किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संबंधी आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परियोजना प्रस्तावक का रहेगा।**

21. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

22. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

23. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) मापें एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

24. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 48.5 | 2% | 0.97 | Folowing activities at Nearby, Village- Bhuigaon | |
| | | | Plantation at government land near by lease area | 11.50 |
| | | | Total | **11.50** |

25. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

26. सी.ई.आर. के अंतर्गत लीज क्षेत्र के समीप शासकीय भूमि में (बड़, पीपल, नीम, करंज, आम, इमली, अर्जुन आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 2,100 नग पौधों के लिए राशि 1,05,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 3,15,000 रूपये, खाद के लिए राशि 21,000 रूपये, रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,54,500 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 5,95,500 रूपये तथा आगामी 4 वर्षों में रख–रखाव हेतु कुल राशि 5,56,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत कासनपाली की सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 602, क्षेत्रफल 6.78 हेक्टेयर में से 1.89 हेक्टेयर) के संबंध में प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

27. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

28. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्ठा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

30. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।

31. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तों एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।

32. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

33. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में मल मूत्र विसर्जन, अथवा खाद्य सामग्री के पैकेट, प्लास्टिक आदि का विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा। नदी एवं नदी जल की स्वच्छता का ध्यान रखा जावें।

34. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जाये।

35. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

36. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

37. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्त्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

38. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रकाशित हों, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रकाशित करेगा कि परियोजना को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ आवश्यक शर्तों सहित सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

39. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी।

40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

41. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा

संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन निर्दिष्ट की जा सकती है।

42. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

43. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

44. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. | अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

# ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR EXPANSION IN EXISTING INDUCTION FURNACE WITH LRF (M.S. BILLETS, INGOTS/HOT BILLETS) OF CAPACITY- 36,000 TONNES / YEAR TO 1,60,000 TONNES/ YEAR, NEW ROLLING MILL (RE-ROLLED PRODUCT/PATRA/STRUCTURAL STEELS/ WIRE ROAD) OF CAPACITY- 1,60,000 TONNES / YEAR OF M/S VASWANI INDUSTRIES LIMITED

**I. Statutory Compliance:**

i. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB).

ii. The project proponent shall obtain all necessary permission from the Central Ground Water Authority, in case of drawl of ground water / from the competent authority concerned in case of drawl of surface water required for the project.

iii. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.

**II. Air Quality Monitoring and Preservation**

i. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 vide G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 as amended from time to time; and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

ii. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through laboratories recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall make provision for carryout Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g. $PM_{10}$ and $PM_{2.5}$ in reference to PM emission, and $SO_2$ and $NO_x$ in reference to $SO_2$ and $NO_x$ emissions) within and outside the plant area (at least at four locations one within and three outside the plant area at an angle of 120° each), covering upwind and downwind directions and connected to SPCB and CPCB online server.

iv. The project proponent shall provide adequate air pollution control arrangements at all point and non point sources. Collecting hoods with Fume Extraction System with Bag filters (PTFE) of adequate capacity and high efficiency shall be installed in induction furnace(s) with minimum 30 meter stack height. Collecting hoods with Fume Extraction System with Bag filters (PTFE) of adequate capacity and high efficiency shall be installed in reheating furnace coal gasifier based rolling mill with minimum stack height 47 meter to ensure that particulate matter emission less than 30 mg/Nm3 all the time. The project proponent shall provide leakage detection and mechanized bag cleaning facilities for better maintenance of bags. Project proponent shall install suitable & effective air pollution control equipments at all transfer points, junction points etc. also. Project proponent shall install dust extraction system with bag filters in coal handling plants and coal transfer points. All the conveying system, transfer point, junction point etc. shall be covered. Adequate provision shall be made for sprinkling of water at strategic locations to ensure dust does not get air borne. For controlling fugitive dust, regular sprinkling of water in vulnerable areas of the plant shall be ensured. Proper ventilation shall also be provided in induction furnace plant. All air pollution control systems shall be kept in good running condition all the time and failure (if any), shall be immediately rectified without delay; otherwise, similar alternate arrangement shall be made. In the event of any failure of any pollution control system adopted by the Project proponent, the respective production unit shall not be restarted until the control measures are rectified to achieve the desired efficiency. As per proposal submitted emission of pollutants from any point source shall not exceed the following limit: -

| | |
|---|---|
| Particulate Matter | 30 mg/Nm³<br>(Thirty Milligram per Normal Cubic Meter) |

Project proponent shall provide proper space provision for further retrofitting of air pollution control systems in case of further stringency of particulate matter emission limit. The height of any other stack(s) shall not be less than 30 meters.

v. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and air quality monitoring and results of manual stack monitoring and manual monitoring of air quality / fugitive emissions to Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six- monthly monitoring report.

vi. Sufficient number of mobile or stationary vacuum cleaners shall be provided to clean plant roads, shop floors, roofs, regularly.

vii. Recycle and reuse iron ore fines and such other fines collected in the pollution control devices and vacuum cleaning devices in the process.

viii. The project proponent shall use mechanically covered leak proof trucks / dumpers vehicles for transportation of raw materials.

ix. At entry and exit point of plant, wheel wash system shall be provided to control wheel generated dust.

x. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed-circuit cameras (CCTv) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.

xi. The project proponent shall provide covered sheds for raw materials like scrap and sponge iron etc.

## III. Water Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent and domestic effluent. Project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of effluent (neutralization system) generated from process. The ETP shall have acid proof lining to avoid any chance of under ground water contamination. Sludge generated from effluent treatment plant shall be transferred to sludge drying beds and disposed off as per the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time. Sewage Treatment arrangement shall be provided for treatment of domestic effluent to meet the prescribed standards. Project proponent shall ensure the treated effluent quality within standard prescribed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India under G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 as amended from time to time. No effluent shall be discharged out of plant premises under any circumstances. Any liquid effluent what so ever generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'.

ii. Industry shall ensure that phenolic wastewater shall be procured only in rubber lined tankers/HDPE drums in accordance with the provisions stipulated in Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.

iii. Phenolic waste water generated from the coal gasifier shall be incinerated in After Burning Chamber of DRI kiln.

iv. The project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers / sampling wells in the plant and adjacent areas through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.

v. The project proponent shall submit monthly summary report of effluent monitoring and results of manual effluent testing and manual monitoring of ground water quality to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nava Raipur Atal Nagar, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.

vi. Garland drains and collection pits shall be provided for each stock pile to arrest the run-off in the event of heavy rains and to check the water pollution due to surface run off.

vii. The project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent.

viii. The project proponent shall make efforts to minimize water consumption in the plant by segregation of used water, practicing cascade use and by recycling treated water.

ix. The project proponent shall used the maximum surface water.

## IV. Noise Monitoring and Prevention

i. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Office of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur as a part of six-monthly compliance report.
ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 viz. 75 dB (A) during day time and 70 dB (A) during night time.

**V. Energy Conservation Measures**

i. Ensure installation of regenerative type burners on all reheating furnace(s). The project proponent shall not utilize any solid fuel such as coal as fuel directly in the re-heating furnace(s). Only gas from producer gas plant shall be used in reheating furnace(s) rolling mill. Industry shall produced re-rolled products through reheating furnace maximum of capacity 22,500 Tonnes per annum.
ii. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.
iii. The project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas.

**VI. Waste Management**

i. The project proponent shall take effective steps for safe disposal of solid wastes and sludge. Furnace slag shall be used as sub base material in road construction/ will be given to brick manufacturer. End cutting shall be used as raw material in own Induction Furnace(s) for steel making. Mill Scales shall be given to nearby ferro alloys manufacturing unit or casting unit. Tar and Oily sludge shall be sold to authorized recyclers / re-processors for proper disposal through incineration. Cinder shall be given to cement plant.
ii. Used refractories shall be recycled as far as possible.
iii. Zinc dross, Zinc ash generated from the galvanizing plant, waste oil, grease and other hazardous waste shall be disposed off as per the Hazardous & Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.
iv. The project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.
v. Kitchen waste (if any) shall be composted or converted to biogas for further use.
vi. The project proponent shall install filter press for dry disposal of sludge received from ETP and shall used the waste as manure in plantation.

**VII. Green Belt**

i. Green belt shall be developed in an area not less than 42.60% of the total plant area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. Greenbelt shall inter alia cover the periphery of the plant. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes. Project proponent shall ensure that plantation will be done within 1 year.
ii. The project proponent shall prepar a GHG emissions inventory for the plant and shall submit the programme for reduction of the same including carbon sequestration including plantation.

**VIII. Public Hearing & Human health Issues**

i. Emergency preparedness plan based on the Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.
ii. The project proponent shall carry out heat stress analysis for the workmen who work in high temperature work zone and provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.
iii. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
iv. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

**IX. Corporate Environment Responsibility**

ii. The project proponent shall comply with the provisions of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility. Project proponent shall made CER fund as follows:-

| Additional Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Particulars | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 2700 | 2% | 54 | Following activities at, **Village-Bhalemuda** | |
| | | | Eco Park Nirman | 54.79 |
| | | | **Total** | **54.79** |

iii. Development of "Eco Park Nirman" at village Bhalemuda, khasra no. 223(part) area 5 hectare as dense and religious plantation. Estimate cost of this plantation is around **Rs. 54.79 Lakhs.**

iv. The project proponent shall submit the Corporate Environmental Responsibility project work completion report issued by the concerned Gram Panchayat of the respective.

v. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.

vi. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.

vii. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.

viii. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

ix. All the recommendations made in the Charter on Corporate Responsibility for Environment Protection (CREP) for the plants (if any) shall be implemented.

x. Environment Clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (As Amended).

**X. Additional Conditions**

i. This EC shall be granted subject to the conditions that the emission level shall not exceed the prescribed limit notified by Central Pollution Control Board failing which this EC shall deemed to be cancelled.

ii. No additional land shall be acquired for this project.

iii. Local persons shall be given employment during development and operation of the plant.

iv. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

v. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

vi. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

vii. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; $PM_{10}$, $SO_2$, $NO_x$ (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.

viii. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

ix. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

x. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.

xi. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.

xii. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.

xiii. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

xiv. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.

xv. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

xvi. The Regional Office Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.

xvii. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

xviii. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

xix. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).

**Member Secretary, SEAC** **Chairman, SEAC**